



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 25-2016]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 21 जून, 2016
(31 ज्येष्ठ, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का0आ014,15,16,17/ह0अ012/2009/धा049/2016, दिनांक 03 जून, 2016 —हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा नियम, 2016.	167–285
	2. अधिसूचना संख्या सा0का0नि015/संवि0/अनु0 309/2016, दिनांक 13 जून, 2016 — हरियाणा विधि विज्ञान (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2016. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	286–287
भाग-IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III
हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 3 जून, 2016

संख्या का0आ014/ह0अ012/2009/धा049/2016.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12) की धारा 49 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप क) सेवा नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
 - (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा चयन द्वारा की गई हो;
 - (ग) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (घ) “संस्था” से अभिप्राय है :—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
 - (ङ) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
 - (च) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप क) सेवा।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12) में दिए गए हैं।

भाग -II सेवा में भर्ती

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गये पद समाविष्ट होंगे: पदों की संख्या तथा उनका
परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।
4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,— सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।
 - (क) भारत का नागरिक; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा; या
 - (ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में, पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। तथापि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों हेतु आयु में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित लागू होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना में 3 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, तो आयोग के विवेक पर अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में पचास प्रतिशत तक की ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति, —

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) संयुक्त निदेशक (तकनीकी) की दशा में :—

(i) उप निदेशकों (तकनीकी) में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) उप निदेशक (तकनीकी) की दशा में :—

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी को स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) उप-निदेशक (प्रशासन)की दशा में,—

(i) अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा; परीक्षा।

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति अधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन, नियत परीक्षा अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परीक्षा की अवधि के दौरान, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो —
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :-

- (क) उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो —
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसको स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है ; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो —
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या
 - (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में से ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :-

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील), नियम 1987, द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील), नियम 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।

-
15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा। टीका लगवाना।
16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ।
17. जहां, सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिख कर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के सम्बन्ध में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।
18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।
19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।
-

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	1	—	1	वेतन बैंड 3=15600-39100+7600रुपये ग्रेड वेतन।
2.	उप निदेशक (तकनीकी)	2	—	2	वेतन बैंड 3=15600-39100+6000रुपये ग्रेड वेतन।
3.	उप निदेशक (प्रशासन)	1	—	1	वेतन बैंड 3=15600-39100+6000रुपये ग्रेड वेतन।

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	-----	<p>पदोन्नति द्वारा:- उप निदेशक (तकनीकी) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (अग्नि) या क्यूमलेटिव ग्रेड पाइन्ट अवरेज के समकक्ष; या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान में स्तानक या क्यूमलेटिव ग्रेड पाइन्ट अवरेज के समकक्ष;</p> <p>(ii) संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या उपनिदेशक (तकनीकी) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।</p>
2.	उप निदेशक (तकनीकी)	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (अग्नि) या क्यूमलेटिव ग्रेड पाइन्ट अवरेज के समकक्ष; या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान में स्तानक या क्यूमलेटिव ग्रेड पाइन्ट अवरेज के समकक्ष; तथा (क) अग्निशमन इंजीनियर</p>	<p>पदोन्नति द्वारा:- सहायक मण्डल अग्नि शमन अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (अग्नि) या क्यूमलेटिव ग्रेड पाइन्ट अवरेज के समकक्ष; या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान में स्तानक या क्यूमलेटिव ग्रेड पाइन्ट अवरेज के समकक्ष;</p>

		<p>संस्था की स्नातकती परीक्षा; या (ख) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन इंजीनियरिंग में मण्डल अग्निशमन अधिकारी के पाठ्यक्रम में डिप्लोमा, (ग) यूनाइटेड किंगडम की अग्निशमन इंजीनियरिंग संस्था से सदस्यता परीक्षा पास हो; (ii) मैट्रिक स्तर तक/ उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत; (iii) न्यूनतम शारीरिक मानक रखना चाहिए अर्थात् 5'-7" उंचाई, 54 किलोग्राम भार तथा छाती बिना फुलाए 32" (ईंच) तथा 34" (ईंच) फुलाव (बिना कपडे के), दृष्टि 6/6 (बिना चश्मा) तथा 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे सहित या के बिना) (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए।</p>	<p>(ii) उप निदेशक (तकनीकी) के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या सहायक मण्डल अग्नि शमन अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक/ उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत।</p>	
3.	उप निदेशक (प्रशासन)	-	<p>पदोन्नति द्वारा:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक; (ii) अधीक्षक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक; (ii) अधीक्षक के रूप में सात वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक/ उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत।</p>	

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	सरकार	I छोटी शास्तियां :- (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी, (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना ;	सरकार।
2.	उप निदेशक (तकनीकी)		II बड़ी शास्तियां :- (vi) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा जिसे सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ; (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ; (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए , सामान्यत : अयोग्यता होगी।	
3.	उप-निदेशक प्रशासन			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशो का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	(i) पेंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सरकार।
2	उप निदेशक (तकनीकी)	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवाषिंता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	
3	उप निदेशक (प्रशासन)		

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय, विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 3rd June, 2016

No.S.O.14/H.A.12/2009/S.49/2016.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution of India and sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 49 of the Haryana Fire Services Act, 2009 (12 of 2009), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Fire (Group A) Service, namely:-

PART-I General

1. These rules may be called the Haryana Fire (Group A) Service Rules, 2016. Short title.
2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “Commission” means the Haryana Public Service Commission;
 - (b) “direct recruitment” means an appointment made by selection otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (c) “Government” means the Government of Haryana in the administrative department;
 - (d) “institution” means,-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purposes of these rules;
 - (e) “recognized university” means,-
 - (i) any university incorporated by law in India;
 - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purposes of these rules;
 - (f) “Service” means the Haryana Fire (Group A) Service.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall respectively have the same meaning as assigned to them in the Haryana Fire Service Act, 2009 (12 of 2009).

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules: Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.
4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is ,- Nationality, domicile and character of candidates recruited to Service .
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age . 5. No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than twenty one years or more than forty two years of age, on the last date of submission of application to the Commission. However, the relaxation in age for Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons shall be applicable, as prescribed by the Government, from time to time.

Appointing authority. 6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the appointing authority mentioned in column 3 of Appendix C to these rules.

Qualifications. 7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty percent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physical Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications. 8. No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment . 9. (1) Recruitment to the Service shall be made :-
(a) in the case of Joint Director (Technical)-
(i) by promotion from amongst the Deputy Directors(Technical); or
(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;
(b) in the case of Deputy Director (Technical)-
(i) 50% by direct recruitment; and
(ii) 50% by promotion from amongst the Assistant Divisional Fire Officers; or
(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;
(c) in the case of Deputy Director (Administration),-
(i) by promotion from amongst the Superintendents; or
(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India; or

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) A person appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise: Probation.

Provided that,-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and
 - (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service, may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
 - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may ,-
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, --
- (a) if the work or conduct has, in its opinion been satisfactory --
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion been not satisfactory, --
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

- Seniority. **11.** Seniority, *inter-se* of members of the Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :
- Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :
- Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:
- Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follow,-
- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
 - (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
 - (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
 - (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.
- Liability to serve. **12.** (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
- (2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-
- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:
- Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.
- Pay, leave, pension and other matters **13.** In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations, as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.
- Discipline, penalties and appeal. **14.** (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:
- Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.
- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be specified in Appendix D to the rules.

- 15.** Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by the special or general order. Vaccination.
- 16.** Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. Oath of allegiance.
- 17.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons. Power of relaxation.
- 18.** Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions, in order of appointment if it is deemed expedient to do so. Special provisions.
- 19.** Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Schedules Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with orders issued by the State Government in this regard from time to time. Reservations.
-

APPENDIX A*(See rule 3)*

Serial Number	Designation of post	Number of Posts		Total	Scale of pay (Rs.)
		Permanent	Temporary		
1	Joint Director (Technical)	1	-	1	Pb3-15600-39100+ 7600 GP
2	Deputy Director (Technical)	2	-	2	Pb3-15600-39100+ 6000 GP
3	Deputy Director (Administration)	1	-	1	Pb3-15600-39100+ 6000 GP

APPENDIX B

(See rule 7)

Serial Number	Designation of posts		Academic qualifications and experience, if any for direct recruitment		Academic qualifications and experience, if any for appointment other than by direct recruitment
1	2		3		4
1.	Joint Director (Technical)		----		<p>By promotion Five years experience as Deputy Director (Technical).</p> <p>By Transfer or Deputation :</p> <p>(i) B.E (Fire) from a recognized university with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average. or Graduate in Science with Chemistry as one subject at graduation level with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average; Two years experience as Joint Director (Technical).</p> <p>(ii) Five years or experience as Deputy Director (Technical); or Deputy Chief Fire Officer.</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard/ Higher Education.</p>
2.	Deputy Director (Technical)	(i)	<p>B.E (Fire) from a recognized university with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average. or Graduate in Science with Chemistry as one subject at graduation level with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average; and</p> <p>(a) Graduate ship examination of the Institute of Fire Engineers or (b) Diploma in Divisional Fire Officer's Course in Fire Engineering from National Fire Service College, Nagpur. Or (c) Having passed membership examination of the Institutions of Fire Engineers of United Kingdom.</p>		<p>By promotion :- Seven years experience as Assistant Divisional Fire Officer.</p> <p>(i) By Transfer or Deputation : B.E (Fire) from a recognized university with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average. or Graduate in Science with Chemistry as one subject at graduation level with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average;</p> <p>(ii) Two year experience as Deputy Director (Technical). or Seven years experience as Assistant Divisional Fire Officer.</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard/Higher Education.</p>

		(ii)	Hindi/Sanskrit upto Matric Standard/ Higher Education.		
		(iii)	Should have minimum physical standard <i>i.e.</i> Height- 5'-7", Weight 54 Kg. and Chest 32" (inches) unexpanded and 34" (inches) expanded (without clothes), Eye Sight 6/6 (without glasses) and 6/6 (with or without glasses after the age of 45 years).		
		(iv)	Should not be colour blind.		
3.	Deputy Director (Administration)		-----	(i)	By promotion : Graduate from a recognized university;
				(ii)	Seven years experience as Superintendent.
				(i)	By Transfer or Deputation : Graduate from a recognized university;
				(ii)	Two year experience as Deputy Director (Administration).
					or
				(iii)	Seven years experience as Superintendent. Hindi/Sanskrit upto Matric Standard/Higher Education.

APPENDIX C
(See rule 14(1))

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>Joint Director (Technical)</p> <p>Deputy Director (Technical)</p> <p>Deputy Director (Administration)</p>	<p>Government</p>	<p>1. Minor Penalties :</p> <p>(i) warning with a copy in the personal file (character role);</p> <p>(ii) censure;</p> <p>(iii) withholding of promotion;</p> <p>(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government owned or to a local authority set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and</p> <p>(v) withholding of increments of pay without cumulative effect.</p> <p>2. Major Penalties :</p> <p>(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;</p> <p>(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction or will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;</p> <p>(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay</p>	<p>Government</p> <p>Government</p>

			<p>on such restoration to the grade post or service;</p> <p>(ix) compulsory retirement;</p> <p>(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;</p> <p>(xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government.</p>	
--	--	--	---	--

APPENDIX D
(See rule 14(2))

Serial Number	Designation of posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1. 2. 3.	Joint Director (Technical) Deputy Director (Technical) Deputy Director (Administration)	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2016

संख्या का0आ015/ह0अ012/2009/धा049/2016.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12), की धारा 49 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग—I सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा चयन द्वारा की गई हो;

(ग) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) “संस्था” से अभिप्राय है :—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(ङ) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(च) “सेवा” से अभिप्राय है हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ख) सेवा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12) में दिए गए हैं।

भाग —II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गये पद समाविष्ट होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग)से संबंधित किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र-प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। तथापि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों हेतु आयु में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित लागू होगी। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना 3 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों, तो आयोग के विवेक पर अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में पचास प्रतिशत तक की ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति, - निर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,-

भर्ती का ढंग।

(क) लेखा अधिकारी की दशा में:-

(i) वित्त विभाग, हरियाणा से स्थानान्तरण द्वारा;

(ख) सहायक जिला न्यायवादी की दशा में,-

(i) निदेशक, अभियोजन, हरियाणा से स्थानान्तरण द्वारा;

(ग) सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी की दशा में,-

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत अग्निशमन केन्द्र अधिकारियों में से पदोन्नत द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) अधीक्षक की दशा में,-

(i) सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

सहायक मण्डल
अग्निशमन
अधिकारी के पद
पर सीधी भर्ती हेतु
प्रक्रिया।

10. उम्मीदवारों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के बाद किया जाएगा, जिसके लिये पाठ्यक्रम परिशिष्ट ७ में विहित है:

परन्तु यदि उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों से बीस गुना से अधिक हो, तो आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के लिये उम्मीदवारों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग टैस्ट आयोजित कर सकता है:

परन्तु यह और कि कोई उम्मीदवार कम से कम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता है, तो उसे नियुक्ति हेतु योग्य नहीं समझा जाएगा तथा कोई भी उम्मीदवार जो अर्हक अंक प्राप्त करने में असफल रहता हो, तो उसे आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया जाएगा।

सहायक मण्डल
अग्निशमन
अधिकारी के पद
पर पदोन्नति हेतु
मानदण्ड।

11. सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवार को विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट ७ में विहित है।

परिवीक्षा।

12. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह किसी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्रधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह —

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो —
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :-

- (क) उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसको स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है ; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो —
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा :
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा :
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में से ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा :

14. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

सेवा करने का दायित्व।

- (2) सेवा के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :-
- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो ; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

15. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलें।

16. (1) अनुशासन, शस्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा शासित होंगे :

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

- (2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।
- टीका लगवाना। 17. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा।
- राजनिष्ठा की शपथ। 18. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।
- ढील देने की शक्ति। 19. जहां, सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिख कर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।
- विशेष उपबन्ध। 20. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।
- आरक्षण। 21. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	लेखा अधिकारी	1	—	1	वेतन बैंड 2=9300-34800+5400 रुपये ग्रेड वेतन।
2.	सहायक जिला न्यायवादी	1	—	1	वेतन बैंड 2=9300-34800+4600 रुपये ग्रेड वेतन।
3.	सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी	23	—	23	वेतन बैंड 2=9300-34800+4200 रुपये ग्रेड वेतन।
4.	अधीक्षक	2	—	2	वेतन बैंड 2=9300-34800+4200 रुपये ग्रेड वेतन।

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	लेखा अधिकारी	—	वित्त विभाग, हरियाणा से स्थानान्तरण द्वारा;
2.	सहायक जिला न्यायवादी	—	निदेशक, अभियोजन, हरियाणा से स्थानान्तरण द्वारा;
3.	सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (अग्नि) या क्यूमलेटिव ग्रेड पॉइन्ट एवरेजके समकक्ष;</p> <p>या</p> <p>स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान में स्नातक या क्यूमलेटिव ग्रेड पॉइन्ट एवरेज के समकक्ष; तथा</p> <p>(क) अग्निशमन इंजीनियर संस्था की स्नातकता परीक्षा;</p> <p>या</p> <p>(ख) यूनाइटेड किंगडम की अग्निशमन इंजीनियरिंग संस्था से सदस्यता परीक्षा पास हो;</p> <p>या</p> <p>(ग) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन इंजीनियरिंग में मण्डल अग्निशमन अधिकारी के पाठ्यक्रम में डिप्लोमा;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p> <p>(iii) न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात् 5'-7" ऊंचाई, 54 किलाग्राम भार तथा छाती बिना फुलाए 32" (ईंच) तथा 34" (ईंच) फुलाव (बिना कपड़े के), दृष्टि 6/6 (बिना चश्मा) तथा 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे सहित या के बिना) ;</p> <p>(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ।</p> <p>(v) परिशिष्ट ड में यथा विहित परीक्षा अर्हक होनी चाहिए ;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा:-</p> <p>(i) अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन इंजीनियरिंग में मण्डल अग्निशमन अधिकारी के पाठ्यक्रम में डिप्लोमा;</p> <p>या</p> <p>अग्निशमन इंजीनियरिंग संस्था की स्नातक परीक्षा;</p> <p>(iii) विभागीय परीक्षा अर्हक होनी चाहिए ;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:-</p> <p>(i) सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव</p> <p>या</p> <p>अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन इंजीनियरिंग में मण्डल अग्निशमन अधिकारी के पाठ्यक्रम में डिप्लोमा;</p> <p>या</p> <p>अग्निशमन इंजीनियरिंग संस्था की स्नातक परीक्षा;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ।</p>

4.	अधीक्षक	—	<p>पदोन्नति द्वारा:— सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव। वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में, सहायक के रूप में भागतः या पूर्णतः तीन वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:— (i) अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ।</p>
----	---------	---	---

परिशिष्ट ग

देखिए नियम 16(1)

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी	सरकार	I- छोटी शास्तियां :- (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना ; II - बड़ी शास्तियां :- (vi) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसी ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा जिससे सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ; (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ; (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए , सामान्यत : अयोग्यता होगी।	सरकार
2	अधीक्षक			

परिशिष्ट घ

[(देखिए नियम 16(2))]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1	सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी	(i) पेंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सरकार
2	अधीक्षक	(ii) सेवा के किसी सदस्य को उसकी अधिवाषिर्ता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	

परिशिष्ट ड

(देखिए नियम 10 तथा 11)

सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

समय अवधि—3घंटे

कुल अंक—100

1. वातानुकूलन प्रणाली

उपकरण की किस्म तथा प्रचालन, अवस्थिति, ताजा हवा ग्रहण, वायु शीतल करने का उपकरण, वायु फिल्टर तथा क्लीनर नलिकाएं, धुंआ नियन्त्रण—निष्क्रिय तथा सक्रिय, पंखा नियन्त्रण इत्यादि, इकाई वातानुकूलन, प्रशीतन डिजाईन/सर्किट तथा अनुरूप संरक्षक निवारण ढंग के विभिन्न स्तरों पर खतरा निर्धारण की देखभाल तथा रखरखाव। तापन उपकरण तथा उनका उपयोग, नलिकाओं तथा पाईपों द्वारा ताप (उष्मा) का वितरण, तापन उपकरणों की स्थापना।

यान्त्रिक संवातन प्रणाली की अपेक्षाएं। विशेष निकास समस्याएं, दाबानुकूलन तथा चिमनी प्रभाव।

2. वायु-कार्ट बचाव हवाई अड्डा संरक्षण

हवाई अड्डे का श्रेणीकरण तथा विमान अग्नि सुरक्षा के पूर्वोपाय, विमान बिजली संयन्त्र, विमान ईंधन, विमान ईंधन-प्रणाली तथा अन्य डिजाईन विचार। विमान में ईंधन टंकी की विशेष किस्म (दाहरी सील तथा स्वतः सील)। विमान फ्यूज-लेग-कक्ष, विमान अग्नि पहचान तथा शामक प्रणाली जिसमें अग्निशामक, विमान से निकास के साधन, विमान बचाव तथा अग्नि नियन्त्रण, हवाई अड्डा तथा हेलीपोर्ट डिजाईन सुरक्षा, विशेष हवाई अड्डा सुविधाएं तथा स्थापना, हवाई अड्डा टर्मिनल काम्पलैक्स से सम्बन्धित खतरे, विशिष्ट आधुनिक विमान तथा विशेष सैन्य विमान, गौलाबारूद, बम्ब, परमाणु हथियारों से सम्बन्धित समस्याएं तथा "निष्कासन सीट" से व्यक्तियों को बचाने में की जाने वाली पूर्वोपाय शामिल हैं।

3. उपकरण डिजाईन

अग्नि इन्जन तथा अग्नि उपकरण के डिजाईन तथा निर्माण में विकास, विभिन्न किस्म के पम्पों तथा उनके स्वरूप के डिजाईन मापदण्ड, डिजाईन का मानकीकरण। जल टैंडरों के लिए सम्बन्धित मानकों का आई.एस.एस., आपातकालीन-टैंडर, फोम क्रैश यूनिट, होज लेईंग लारी, टर्न टेबल लेडर तथा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म।

4. पी.ए. प्रणाली में निर्माण सहित स्वचालित (अविवेचित) अग्नि पहचान प्रणाली

परिचय—(i)ताप संसूचक, (ii)धुंआ संसूचक, (iii)गैस अनुभव अग्नि संसूचन तथा (iv)ज्वाला संसूचक, (v)स्वचालित (अविवेचित) अग्नि संसूचक, पी.ए. प्रणाली के समेकन के विवरण तथा प्रचालन के सिद्धान्त, "सदृश प्रणाली" में कम्प्यूटर तथा मुद्रक प्रणाली, संसूचक-प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाली परिवेशी स्थिति, संसूचकों तथा संसूचक स्थापनाओं का चयन, संसूचकों की देखभाल, रखरखाव तथा जांच। हस्तचालित रूप से संचालित अग्नि चेतावनी, नियन्त्रण तथा सूचित करने वाला उपकरण।

5. भवन निर्माण तथा संरचनात्मक अग्नि संरक्षण

अग्नि सुरक्षा तथा आधुनिक भवनों में वास्तुकला को भूमिका, कार्य, संरचनाओं के घटक की अग्नि जांच, संरचनाओं की अग्नि, भवन में अग्नि खतरे-भवनों के बीच अग्नि के फैलाव को रोकने के लिए पूर्वोपाय-भवनों के भीतर अग्नि के फैलाव को सीमित करने के उपाय तथा एन.बी.सी. के रूप में बचाव के उपाय, भवनों के लिए अग्नि संरक्षण अपेक्षाएं तथा राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार भवनों में अग्नि उपकरणों के लिए पहुंच।

6. विधि न्यायालय

विधि न्यायालयों में भूमिका, प्रक्रिया-गवाहों को समन करना, केसों की तैयारी, पीठासीन अधिकारी के न्यायालय के सम्मुख पेश होने में औपचारिकताएं, साक्ष्य देने के ढंग, अग्नि रिपोर्ट का महत्व, भारतीय दण्ड संहिता की कुछ सम्बन्धित धाराओं की पोरजरी, बनावट।

7. अग्नि का रसायन

दहन प्रक्रिया आधार-प्रतिक्रिया-रसायन प्रक्रिया-ज्वाला फैलाव। भड़कीला बिन्दु, पहले मिश्रित (प्रीमिक्सड) ज्वाला, धमाका, ट्यूब में ज्वाला तथा प्रोपोगेशन-ज्वाला बन्दीकर्ता, विस्फोट-ज्वाला के कार्बन-प्रसारण (विकिरण)।

दहन की विशेष किस्म-सतह आक्सीकरण गहन सीट अग्नि-स्वतः तापन तथा ज्वलन-धातु-विस्फोटक-अस्थायी रसायन-राकेट बारूद का दहन।

जैव मिश्रण, जैव मिश्रण, हाईड्रोकार्बन, द्रव्य तथा जैव तेजाब का ज्वलनशील स्वरूप।

8. संचार, मोबीलाईजेशन तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन

मोबीलाईजिंग, आयोजना तथा परिचालन अपेक्षाएं, केन्द्रित मोबीलाईजिंग, उपयोग में संकेतन प्रणाली की किस्म।

अग्नि सेवा में रेडियो, प्राथिकता की विशेषता, चयन तथा आबंटन। रेडियो स्कीम की किस्म, मोबाइल रेडियो उपकरण, परिवहन योग्य तथा निजी सेटस, निजी पेजिन प्रणाली, खतरनाक स्थिति में मानक उपकरण का उपयोग। अग्नि सेवा में कम्प्यूटर की भूमिका, कम्प्यूटर सिद्धान्त तथा एप्लीकेशन।

9. विस्फोटक तथा रेडियोकेटिव सामग्री

विस्फोटक तथा उनके सामान्य वर्गीकरण की विशेषता, विस्फोटक के भण्डार में अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धान्त, विस्फोटकों का अग्निशमन वर्गीकरण तथा अग्नि संरक्षण उपाय, विस्फोटकों का परिवहन, विस्फोटकों का अनुज्ञेय स्वामित्व तथा भण्डारण के बारे में विस्फोटक अधिनियम तथा नियम।

रेडियो-क्रियात्मक सामग्री की विशेषता, रेडियो-क्रियात्मक सामग्री निपटान की प्रक्रिया, विकिरण (प्रसारण) इकाई तथा माप, विकिरण (प्रसारण) प्रदर्शन, मानीटरिंग तथा विसंदूषितकरण प्रक्रिया, रेडियो क्रियात्मक सामग्री के लिए अग्नि संरक्षक अपेक्षाएं।

10. विद्युत तथा अग्नि जोखिम

उत्पन्न केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों में मुख्य उपकरण, इन उपकरणों में संभव त्रुटि (कमी) जो अग्नि खतरे के परिणाम के लिए सम्भाव्य है।

अग्नि के कारण हानि को कम करने के लिए उपकरण की अवस्थिति के बारे में बायलर गृह, टरबाईन गृह, कोयला प्रांगण तथा स्वीच-प्रांगण में किए जाने वाले पूर्वोपाय।

बिजली की तारों में सामान्य दोषकों (डिफेक्टर) सहित प्रेषण तथा वितरण लाइनों, लाभप्रद विद्युत सर्किट में विचार।

घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग में सामान्य विद्युत उपकरण। इन उपकरणों में कमियों की किस्म जो अग्नि खतरे का परिणाम हो सकती हैं। आवश्यक पूर्वोपाय (सावधानी)।

इलैक्ट्रिक कर्षण प्रणाली में अग्नि।

विद्युत उपकरण जैसे कि ट्रांसफार्मर, ओ.सी.बी. केबल इत्यादि में तेल का प्रयोग। तेल जो अग्नि का स्रोत है। संकटकालीन विद्युत उपकरण का फटना।

इलैक्ट्रिक न्यून वोल्टेज सर्किटों में प्रयुक्त कंडक्टर-पृथककारी। अग्नि प्रतिरोध के रूप में उनकी उपयुक्तता।

विद्युत उपकरणों का भूसंपर्क करना (अर्थिंग करना)।

स्थैतिक बिजली के कारण अग्नि।

भारतीय मानक (सामान्य रीडिंग)

1. आई.एस. 2206 (भाग-1)....1962

ज्वाला-रोधी इलैक्ट्रिक प्रकाश फिटिंग के लिए विशिष्टियां।

2. आई.एस. 3034.1981

औद्योगिक भवन विद्युत उत्पादन तथा वितरण केन्द्र की अग्नि सुरक्षा के लिए कार्य संहिता।

3. आई.एस. 1646-1961

विद्युत स्थापना भवनों (सामान्य) को अग्नि सुरक्षा के लिए कार्य संहिता।

4. आई एस. 2148-1968

ज्वाला-रोधी-अनुलग्नक विद्युत उपकरण के लिए

विशिष्टियां

11. अग्नि ड्रिल

अग्नि ड्रिल के सिद्धान्त तथा प्रक्रिया-प्रयोजन, अग्नि ड्रिल का सूत्रीकरण तथा योजना, हिदायत तथा प्रशिक्षण, अग्नि रूटिंग विवरण, ड्रिल की प्राथमिकता, विभिन्न अधिभागों के सम्बन्ध में ड्रिल अर्थात् कारखाने, कार्यालय, दुकान तथा रेलवे परिसर-होटल तथा गृह, डे विद्यालय, अस्पताल, लोक मनोरंजन के स्थान।

12. अग्नि सुरक्षा कानून (विधान) तथा निरीक्षण

वर्तमान (विद्यमान) अग्नि निवारण कानून (विधान) से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों का संक्षिप्त ज्ञान।

(i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934

(ii) कैल्सियम कारबाईड नियम, 1987

- (iii) विस्फोटक नियम, 1984
- (iv) कारखाना अधिनियम, 1948
- (v) चलचित्र अधिनियम, 1952
- (vi) ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952
- (vii) गैस सिलैण्डर नियम, 1981

हरियाणा अग्नि सेवा अधिनियम के अधीन अग्नि प्राधिकरणों तथा उनके अधिकारियों की जिम्मेवारी तथा बाध्यताएं, प्रवर्तन तथा निरीक्षण की शक्तियां।

13. नियत अग्नि संरक्षण स्थापना

भारतीय मानक ब्यूरो तथा एन.बी.सी. द्वारा तैयार कार्य संहिता के अनुसार डिजाइन की प्रस्तावना, सिद्धान्त, प्रणाली के जोखिम प्रवर्ग तथा श्रेणी, जल तथा शामक प्रणाली तथा अन्य शामक एजेंटों के अनुसार प्रणाली की साधारण अपेक्षाएं तथा ग्रेडिंग, स्प्रेन्गकलरड भवनों में विशेष जोखिम तथा अग्निशमन के लिए स्थापनाएं।

14. विभिन्न जोखिमों का अग्नि संरक्षण सर्वेक्षण तथा लोक मनोरंजन तथा सभा स्थलों का निरीक्षण

अग्नि खतरों की प्रस्तावना, मात्रा का निर्धारण। अग्नि संरक्षण—समुदाय की भूमिका तथा अग्नि समस्याओं की पहचान, गृह—व्यवस्था पद्धति, अग्नि हानि निवारण तथा नियन्त्रण प्रबन्ध, लोक संरक्षण का मूल्यांकन तथा योजना, अग्नि निवारण तथा प्रवर्तन संहिता, लोक मनोरंजन तथा सभा स्थलों के लिए असाधारण बनावट विशेषता तथा खतरा, स्थल का चयन, परिसरों के सार्वजनिक भाग सहित भवनों का प्रबन्ध तथा निर्माण, अस्थाई संरचना तथा पण्डालों तथा अग्नि एहतियाती उपायों के निर्माण की अनुज्ञप्ति, निकास की संगणना, चलचित्र अधिनियम, 1948 के अनुसार ऐसे स्थानों में अग्नि की दशा में बैठने का प्रबन्ध—मार्ग, सीढ़ी, सुरक्षा पर्दे, भंडारण तथा ड्रेसिंग कक्ष, प्रक्षेपण—अहाता, प्रकाश तथा विद्युत स्थापनाएं, सुरक्षा प्रकाश, अग्नि संरक्षण उपकरण, प्रक्रिया की व्यवस्था।

15. गैस तथा धूल विस्फोटन

प्रस्तावना—गैसों तथा उनके गुणों का वर्गीकरण, गैसों का मूल खतरा तथा धूल की विस्फोटकता का उपयोग, बलेव, पी. यू.वी.सी.ई तथा पूर्वोपाय, प्रभाव डालने वाले घटक, धूल के खतरे, धूल—समूह ज्वलन स्रोत, धूल विस्फोटन की विनाशिता पर प्रभाव डालने वाले घटक, धूल विस्फोटन जांच उपकरण तथा माप प्रक्रिया, गैस पहचान तथा अन्वेषण उपकरण तथा उनका व्यवहारिक उपयोग।

16. हाइड्रोलिक

डेट का संग्रहण तथा व्याख्या—डेट का सारणीयन तथा ग्राफीकल प्रस्तुति, ग्राफ की तैयारी तथा व्याख्या, हिस्टोग्राम (बार चार्ट) सर्कुलर डायग्राम।

शब्द परिभाषा: (क) घनत्व, (ख) विशिष्ट विकटता, (ग) फ्ल्यूड पर दबाव: तथा उपरोक्त क, ख, ग में इकाईयों सहित तीन सुलझाई गई मूल समस्याओं के बीच सम्बन्ध प्रमाणित करना: वायुमण्डलीय दबाव की परिभाषा तथा इसके माप के ढंग का वर्णन करना; दर्शाना कि वायु मण्डलीय दबाव का सिद्धान्त बहाव के सहायता के रूप में या बहाव माप के उपाय के रूप में पम्पिंग प्रणाली में कैसे प्रयोग किया जाता है; खुली जल आपूर्ति के अनियमित आकार की क्षमता की गणना करना।

साधारण संरचना में आप्लव—केन्द्र ऊंचाई, उत्प्लावकता, स्थिरता तथा बल से सम्बन्धित गणितीय समस्याएं।

पम्प, जल शक्ति परिभाषा, ब्रेक पावर तथा दक्षता के सम्बन्ध में; इन शब्दों सहित मूल संगणना करना; पाईप जल आपूर्ति के ऊर्जा हानि की गणना करने के लिए घर्षण तथा उनके उपयोग की विधि निर्धारित करना; भिन्न आन्तरिक सतह तथा डायामीटर होज के माध्यम से जल के वेग तथा निस्सरण के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करना; भिन्न आन्तरिक सतह तथा डायामीटर की पाईपलाईन तथा होज में पानी के बहाव के वेग तथा मात्रा का गणना करना; शाखा के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करना; शाखाओं तथा नोजल के प्रयोजन तथा डिजाइन पर विचार—विमर्श करना; शब्द जैट प्रतिक्रिया निर्धारित करना तथा जैट प्रतिक्रिया बल गणना के योग्य होना; जैट की सैद्धान्तिक तथा प्रभावी ऊंचाई दोनों की गणना करना।

17. अग्नि तथा आगजनी की जांच

जांच की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए प्रस्तावना, महत्व तथा कारण; स्थल की जांच; ज्वलन की स्रोत; अग्नि की जांच में वैज्ञानिक न्यायिक प्रयोगशाला का कार्य; गवाहों को साक्षात्कार करने की प्रक्रिया तथा अनुक्रम तथा अन्वेषणात्मक रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है; आगजनी—इसका कार्य तथा पहचान; प्रयोजन, संदिग्ध परिस्थितियां तथा आगजनी उपकरण; आगजनी अग्नि की जांच में अग्नि अधिकारियों की भूमिका (कार्य); साक्ष्य का संग्रहण तथा परिरक्षण; आगजनी ने विफिक पहलुओं तथा सम्बन्धित आई.पी.सी. धारा के अधीन आगजनी का मामला तैयार करने का ढंग।

18. अग्नि सेवा का प्रबन्धन, कमाण्ड तथा नियन्त्रण

व्यक्तित्व विकास का परिचय, समूह व्यवहार तथा समूह में कैसे कार्य करना है, लोगों को समझना, प्रबन्धन समय, कमाण्ड का सिद्धान्त, कानून तथा अनुशासन का परिचय, सी.सी.टी.वी. का परिचय; रिपोर्ट-लिखने, मूल्य निर्धारण प्रणाली, मीडिया द्वारा साक्षात्कार करने, निर्णय-करने, परियोजना प्रबन्धन, कर्मचारी सम्पर्क, लोक सम्पर्क, बोलने तथा बहस करने, प्रबन्ध के लिए वित्त, वित्तीय जवाबदेही, चयनात्मक तथा पैनल साक्षात्कार करना, अग्नि सेवा तथा निधियों के सम्भावित स्रोत की अनुज्ञप्ति तथा साधनों के लिए गार्ड करना।

आपदा प्रबन्धन

- (क) प्राकृतिक आपदा (भूकम्प, बाढ़, चक्रवात)
- (ख) वायु आपदा (विमान क्रेसिज निवासी)
- (ग) परमाणु, जैविक तथा रासायनिक आपदा (एन.बी.सी.)
- (घ) ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली रेल गाड़ी की दुर्घटना।

19. मैकेनिक्स

व्यक्ति का विश्राम करना तथा चेष्टा, बलों, कार्य, ऊर्जा तथा मशीनों का मूल ज्ञान। मैकेनिकल लाभ सहित साधारण मशीनों की सभी किस्मों से सम्बन्धित व्यावहारिक विचार तथा समस्याएं।

20. प्लान ड्राईंग तथा रीडिंग

प्लान रीडिंग का महत्व, इंजीनियरिंग का घटक, ड्राईंग सिद्धान्त, प्लान का प्रयोग तथा मूल्य तथा सामूहिक संकेत की व्याख्या, संकेतों की व्याख्या, प्लान ड्राईंग का कुशल प्रयोग, मार्किंग तथा सिंडिकेट विचार-विमर्श तथा मूल्यांकन।

21. खतरनाक सामग्री का भण्डारण तथा परिवहन

परिचय-खतरनाक पदार्थों की किस्म, मिश्रित चिह्न, इसकी बनावट तथा आपात कार्यवाही संहिता (हैजचैम) तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रणाली (परिवहन आपात कार्ड) का प्रयोग।

रासायनिक घटना तथा विसंदूषितकरण प्रक्रिया, अग्नि प्रबन्ध के लिए सामान्य नियम, अत्यन्त ज्वलनशील द्रव्य तथा द्रव्य पेटोलियम का भण्डारण तथा निपटान।

परिवहन का ढंग, सड़क, रेल तथा नौ-परिवहन तथा वायु के प्रयोग में मार्किंग प्रणाली।

22. अग्निशमन उपकरण तथा उपस्कर का तकनीकी मूल्यांकन

- (क) पम्प तथा प्राइमर
- (ख) होज-वितरण तथा चूषण (सकशन)
- (ग) शामक मीडिया
 - (i) डी.सी.पी.
 - (ii) फोम (प्रोटीन ए.एफ.एफ.एफ., ए.टी.सी./ए.एफ.एफ.एफ.)

23. विशेष अग्नि

बन्दरगाह (पोर्ट) अग्नि, तेल टर्मिनल अग्नि, तेल परिष्करण-शाला अग्नि, तेल प्लेटफार्म अग्नि, तेल टैंकर अग्नि, आक्सीजन टैंकर अग्नि, एल.पी.जी. वोटिंग संयन्त्र अग्नि से सम्बन्धित योजना तथा तकनीक।

24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-III तथा IV का ज्ञान।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT**
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**Notification**

The 3rd June, 2016

No.S.O.15/H.A.12/2009/S.49/2016.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution of India and sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 49 of the Haryana Fire Services Act, 2009 (12 of 2009), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Fire (Group B) Service, namely:-

PART-I GENERAL

- Short title. **1.** These rules may be called the Haryana Fire (Group B) Service Rules, 2016.
- Definitions. **2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) “Commission” means the Haryana Public Service Commission;
- (b) “direct recruitment” means an appointment made by selection otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) “Government” means the Government of Haryana in the administrative department;
- (d) “institution” means,-
- (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
- (ii) any other institution recognized by the Government for the purposes of these rules;
- (e) “recognized university” means,-
- (i) any university incorporated by law in India;
- (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purposes of these rules.
- (f) “Service” means the Haryana Fire (Group B) Service.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall respectively have the same meaning as assigned to them in the Haryana Fire Service Act, 2009 (12 of 2009).

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

- Number and character of posts. **3.** The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:
Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.
- Nationality, domicile and character of candidates recruited to service. **4.** (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is ,-
- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan:
- Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.
- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than twenty one years or more than forty two years of age, on the last date of submission of application to the Commission. However, the relaxation in age for Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons shall be applicable as prescribed by the Government from time to time. Age.
6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the appointing authority mentioned in column 3 of Appendix C to these rules. Appointing authority.
7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment: Qualifications.
- Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty percent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physical Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.
8. No person,- Disqualifications.
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the Service :
- Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
9. (1) Recruitment to the Service shall be made,- Method of recruitment .
- (a) in the case of Account Officer (SAS Cadre),-
- (i) by transfer from Finance Department Haryana;
- (b) in the case of Assistant District Attorney,-
- (i) by transfer from the office of Director, Prosecution Haryana.
- (c) in the case of Assistant Divisional Fire Officer,-
- (i) 50% by direct recruitment; and
- (ii) 50% by promotion from amongst the Fire Station Officers; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any state Government or the Government of India.
- (d) in the case of Superintendent,-
- (i) by promotion from amongst the Assistants/Senior Scale Stenographer; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of the State Government or the Government of India.
- (2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
10. Selection of candidate shall be made by the Commission after holding a competitive examination, the syllabus for which is prescribed in Appendix E. Procedure for direct recruitment to the post of Assistant Divisional Fire Officer
- Provided that if the number of candidates is more than twenty times the number of vacancies advertised, the commission may hold a screening test to shortlist the candidates for the competitive examination.
- Provided further that a candidate shall not be considered qualified for appointment, unless he obtains a minimum of forty percent marks and no candidate who fails to obtain the qualifying marks shall be called for interview by the commission.

Criteria for promotion to the post of Assistant Divisional Fire Officer

11. (1). For promotion to the post of Assistant Divisional Fire Officer, candidates shall have to qualify the departmental test. The syllabus of test is prescribed in Appendix E.

Probation .

12. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that,-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and
 - (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service, may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
 - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may ,-
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-
- (a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory –
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion been not satisfactory, -
 - (i) dispense with his services if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority.

13. Seniority, interse of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member:

14. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve .

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

15. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature. Pay, leave, pension and other matters.

16. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time: Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be specified in Appendix D to these rules.

17. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by the special or general order. Vaccination.

18. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. Oath of allegiance.

Power of
relaxation.

19. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

Special
provisions.

20. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions, in order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

21. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Schedules Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with orders issued by the State Government in this regard from time to time.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial Number	Designation of post	Number of Posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1.	Account Officer (SAS Cadre)	1	-	1	Pb-2=9300-34800 +5400 GP
2.	Assistant District Attorney	1	-	1	Pb-2=9300-34800 +4600 GP
3.	Assistant Divisional Fire Officer	23	-	23	Pb-2=9300-34800 +4200 GP
4.	Superintendent	2	-	2	Pb-2=9300-34800 +4200 GP

APPENDIX B

(see rule 7)

Serial Number	Designation of posts		Academic qualifications and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any for appointment other than by direct recruitment
1	2		3	4
1.	Account Officer (SAS Cadre)		--	By Transfer from Finance Department, Haryana.
2.	Assistant District Attorney		--	By Transfer from Director, Prosecution, Haryana.
3.	Assistant Divisional Fire Officer	(i)	Bachelor of Engineering (Fire) from a recognized University with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average. or Graduate in Science with Chemistry as one subject at graduation level with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average; and; (a) Graduate ship examination of the Institute of Fire Engineers or (b) Having passed membership examination of the Institutions of Fire Engineers of United Kingdom. or (c) Diploma in Divisional Fire Officer's Course in Fire Engineering from National Fire Service College, Nagpur.	By promotion : (i) Five years experience as Fire Station Officer; (ii) Diploma in Divisional Fire Officer's Course in Fire Engineering from National Fire Service College, Nagpur. or Graduate ship examination of the Institute of Fire Engineers. (iii) Should have qualified the departmental test.
		(ii)	Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher education.	By Transfer or Deputation: (i) Two years experience as Assistant Divisional Fire Officer. or Five years experience as Station Fire Officer. (ii) Diploma in Divisional Fire Officer's Course in Fire Engineering from National Fire Service College, Nagpur. or Graduate ship examination of the Institute of Fire Engineers.
		(iii)	Should have minimum physical standard <i>i.e.</i> Height- 5'-7", Weight 54 Kg. and Chest 32" (inches) unexpanded and 34" (inches) expanded (without clothes), Eye Sight 6/6 (without glasses) and 6/6 (with or without glasses after the age of 45 years).	(iii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard/Higher Education.
		(iv)	Should not be colour blind.	
		(v)	Should have qualified departmental test as prescribed in Appendix E.	

4.	Superintendent		--	<p>By promotion : Ten years experience as Assistant/ Senior Scale Stenographer. In case of Senior Scale Stenographer he should have three years experience of the work of Assistant in addition or full fledged.</p> <p>By Transfer or Deputation: (i) Two years experience as Superintendent (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard/Higher Education.</p>
----	----------------	--	----	--

APPENDIX C*(See rule 16(1))*

Serial Number	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
1 2	Assistant Divisional Fire Officer Superintendent	Government	<p>I Minor Penalties :</p> <p>(i) warning with a copy in the personal file (character role). (ii) Censure; (iii) with-holding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Govt. owned or to a local authority or University set up by an act of parliament or of the legislature of a State; and (v) withholding of increments of pay without cumulative effect.</p> <p>II Major Penalties :</p> <p>(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect. (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction or will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be bar to the promotion of the</p>	Government

			<p>Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to the grade post or service;</p> <p>(ix) compulsory retirement.</p> <p>(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;</p> <p>(xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government.</p>	
--	--	--	---	--

APPENDIX D*(See rule 16(2))*

Serial Number	Designation of posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1	Assistant Divisional Fire Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government
2	Superintendent		
		(ii) terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	

APPENDIX E

(See rules 10 and 11)

SYLLABUS FOR EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT/PROMOTION TO THE POST OF ASSISTANT DIVISIONAL FIRE OFFICER

Time: 3 hours

Total Marks= 100

1. Air Conditioning System:

Types and operation, Location of equipment, Fresh-Air intakes, Air Cooling Equipment, Air Filters & Cleaners Ducts, Smoke Control-passive & active, Fan Controls etc. Unit Air-Conditioners, Care & Maintenance Hazard assessment at different stages of Refrigeration design/circuit and corresponding Protective Prevention methods.

Heating appliances and their application, Distribution of Heat by Ducts and pipes, Installation of Heating appliances.

Requirements of Mechanical Ventilation Systems. Special venting problems, pressurization and stack effect.

2. AIR-CRAFT RESCUE AIR-PORT PROTECTION

Categorisation of Aerodrome and provision of Air-Craft fire safety, Air-Craft Power-Plants, Aviation Fuels, Air-Craft Fuel-Systems and other design consideration. Special type of fuel tanks in Air-craft (double Sealed and self-sealing). Air-Craft Fuse-lage-compartments, Air-Craft fire Detection and Extinguishing Systems including Fire-Extinguishers, Means of egress from Air-Craft, Air-Craft Rescue and Fire Control, Air-Port & Heliport Design safety, Special Air-Port facilities and Installations, Hazards dealing with Air-Port Terminal Complex, Typical Modern Air-craft and Special Military Air-craft, Problems in dealing with Air-craft carrying Ammunition, Bombs, Nuclear Weapons and pre-caution to be taken in rescuing persons from "Ejection Seats".

3. APPLIANCE DESIGN

Development in Design & construction of Fire Engines & Fire Appliances, Design parameters of various types of pumps and their characteristic, Standardisation of Design. I.S.S of related standards for Water Tenders, Emergency – Tenders, Foam Crash Units, Hose laying lorries, Turn Table Ladders and Hydraulic Platforms.

4. AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEM INCLUDING BUILT IN P.A. SYSTEM

Introduction-Description and Operating Principles of (i) Heat Detectors, (ii) Smoke Detectors, (iii) Gas Sensing Fire Detectors and (iv) Flame Detectors, (v) Integrating of Automatic Fire-Detector, P.A. System, Computer & Printer Systems as in "Analogous systems"

Ambient conditions affecting Detector-response, Selection of Detectors & Defector Installations, Care maintenance and Testing of Detectors.

Manually-operated fire-alarms, Control and Indicating Equipment.

5. BUILDING CONSTRUCTION & STRUCTURAL FIRE PROTECTION

Introduction, Role of Architecture in Fire safe design & Modern buildings, Fire test of Element of Structures, Fire of Structures, Fire hazards in building – precautions to prevent spread of fire between buildings – Means of limiting spread of fire within buildings and Means of Escape as per N.B.C., fire Protection requirements for buildings and as per national Building Code, Access for Fire Appliances to buildings.

6. COURT OF LAWS

Introduction, procedure in Law Courts-Summoning Witnesses, Preparation of cases, Formalities in appearing before the Court of Presiding Officer, Methods of giving evidence, importance of Fire Reports, Perjury, Structures of some related sections of the Indian Penal code.

7. CHEMISTRY OF FIRE

Basis Combustion Processes-reaction-Chemical Processes-Diffusion Flames. Flash Point, Premixed Flames, Explosions, Flame and propagation in tubes-Flame Arresters, Detonation-Carbon in flames- Radiation.

Special Types of Combustion-Surface Oxidation Deep seated fires-Spontaneous Heating & Ignition-Combustion of Metals-Explosives-Unstable Chemical-Rocket Propellants.

Organic Compounds, flammable nature of Organic Compounds, Hydrocarbons, Solvents and Organic Acids.

8. COMMUNICATION, MOBILIZATION & COMPUTER APPLICATION

Mobilising, Planning and Operational requirements, Implications of Centralised Mobilising, Types of Signaling Systems in use.

Radio in Fire Service, Characteristics of Frequencies, Selection and Allocation. Types of Radio Scheme, Mobile Radio Equipment, Transportable and Personal Sets, Personal Pagers Systems, Use of Standard Equipment in hazardous conditions. Introduction to Computer, Computer Principles and Application of Computer to Fire Service.

9. **EXPLOSIVES & RADIOACTIVE MATERIALS**

Characteristics of Explosives and their general classification, General Principles to be followed in storage of Explosives, Fire-Fighting classification of Explosives and Fire Protection Measures, Transportation of Explosives, Explosives Act and Rules regarding permissible possession and Storing of Explosives.

Characteristics of Radio-Active materials, Procedure of handling Radio-active materials, Radiation units and Measurements, Radiation Exposure, Monitoring and Decontamination Procedure, Fire Protection Requirements for Radio active materials.

10. **ELECTRICITY & FIRE RISK**

Main equipment in generating stations and sub-stations, possible faults in these equipments that are likely to result in Fire Hazard.

Precautions to be taken in boiler house, turbine house coal yard and switch-yards regarding location of the equipment to minimize the damage due to Fire.

Considerations in transmissions and distribution lines, Healthy electrical circuits with, General defectors in wiring.

Common electrical equipment in domestic and industrial use. Types of faults in these equipments which may result in fire hazard. Necessary precautions.

Fire in electric traction system.

Use of oil in electrical equipment such as transformer, O.C.B. Cables etc. Oil as a source of fire. Bursting of crucial electrical equipment.

Conductors and insulators used in electric low voltage circuits. Their suitability as fire resistance.

Earthing of Electrical equipments.

Fires due to Static Electricity.

Indian Standards (General reading)

1. I.S. 2206 (Part-I)..1962
Specifications for flame-proof electric lighting fitting.
2. I.S. 3034..1981
Code of practice for fire safety of industrial buildings Electrical Generating & distribution stations.
3. I.S. 1646-1961
Code of practice for fire safety of buildings (General) Electrical installation.
4. I.S. 2148-1968
Specifications for flame-proof enclosures Electrical Apparatus.

11. **FIRE DRILL**

Principles and Procedure-purpose of fire drills, formulating and Planning of fire Drill, Instructions and Training, Fire routing details, Frequency of drill, drill in respect of different occupancies viz. Factories, offices, Shop and Railway Premises-Hotels and Houses, Day Schools, Hospitals Places of Public Entertainment.

12. **FIRE SAFETY LEGISLATION & INSPECTION**

Brief knowledge of Acts, Rules and Regulations Pertaining to existing Fire Prevention Legislation.

- (i) Petroleum Act of 1934
- (ii) Calcium Carbide Rules 1987
- (iii) Explosives Rules of 1984
- (iv) Factories Act 1948
- (v) Cinematography Act 1952
- (vi) Inflammable Substances Act 1952
- (vii) Gas Cylinders Rules 1981

Responsibilities and Obligations, Powers of Enforcement and Inspection of Fire Authorities and their Officers under Haryana Fire Services Act.

13. FIXED FIRE-PROTECTION INSTALLATION

Introduction, Principle of Design as per Code of Practice prepared by Bureau of Indian Standards and N.B.C. , Risk-Categories and Classes of System, General Requirements and Grading of System according Water and Extinguishing Systems and other Extinguishing Agents, Installations for Special Risks and Fire fighting in a sprinklered building.

14. FIRE PROTECTION SURVEY OF VARIOUS RISKS AND INSPECTION OF PUBLIC ENTERTAINMENT & ASSEMBLY PLACES.

Introduction, Assessing the magnitude of the Fire hazards. Role of the Fire Protection-Community and Identification of the fire-problems, House-keeping practices, Fire Loss Prevention and Control Management, Evaluation and Planning of Public Protection Fire Prevention and Code Enforcement Constructional features and hazards peculiar to Public Entertainment & Assembly Places, Selection of site, Arrangement and Construction of building including public portion of the premises, Licencing on constructing of temporary structures and pandels and fire precautionary measures, Calculation of exit, sitting arrangement-gangways, Stairways, Safety Curtain, Storage and dressing rooms, Projection-enclosure, lighting and electrical installations, Safety lighting, Provision of fire protection equipments, Procedure in case of fire in such places as per Cinematograph Act of 1948.

15. GAS AND DUST EXPLOSION

Introduction-classification of Gases and their properties, Basic hazards of Gases and usage, Bleve, PUVCE and Safeguards, Factors influencing the explosibility of dusts, Hazards of Dusts, Dust-clouds Ignition sources, Factors influencing the destructiveness of Dust Explosions, Dust Explosion Test Apparatus and measuring procedures, Gas detection and Analysis Equipment and their practical uses.

16. HYDRAULICS:

Collection & Interpretation of Date- Tabulation and graphical presentation of Date; Preparation and interpretation of graphs, histograms (bar charts), circular diagrams.

Define the terms : (a) Density, (b) Specific gravity, (c) Pressure on fluids : and demonstrate the relationship between the three solve basic problems involving the units referred to a,b,c, above; Define atmospheric pressure and describe methods of measuring it; show how the principle of atmospheric pressure is used in pumping systems either as an aid to flow or as a means of measuring flow; calculate the capacity of irregularly shaped open water supplies.

Mathematical problems relating to metacentric height, buoyancy, stability and forces in simple structure.

In relation to pumps, define water power, brake power and efficiency; Carry out basic calculations involving these terms ; Define the laws of friction and use them to calculate energy losses in piped water supplies; Explain the relationship between velocity and discharge of water through hose of differing internal surfaces and diameters; Calculate the velocity and quantity of flow of water in pipelines and hose of differing internal surfaces and diameters ; Explain the relationship between branch ; Discuss the purpose and design of branches and nozzles; Define the term jet reaction and be able to calculate jet reaction forces; Calculate both theoretical and effective height of a jet.

17. INVESTIGATION OF FIRES & ARSON

Introduction, Importance and Reasons for through Investigation Process of investigation; Investigations on the site; sources of ignition; Role of Scientific Forensic Laboratory in the investigation of fires; Procedures and sequence of Interviewing Witnesses and how to prepare Investigative Report ; Arson- its Meaning and Detection, Motives, Suspicious circumstances and Arson Devices; Role of Fire Officers in Investigation of Arson Fires; Collection and preservation of Evidence; Method of preparing an Arson case legal aspects of Arson and Related Section I.P.C.

18. MANAGEMENT, COMMAND & CONTROL OF FIRE SERVICE

Introduction to personality development, Group behavior and how to work in group, Understanding People, Managing time, Principle of Command, Introduction to law and discipline, Introduction to C.C.T.V.; guide to report-writing, appraisal system, Being interviewed by the media, Decision-making, Project management, Employee relation, Public relation, Speaking and debating, Finance for Management, Financial accountability, Selective and Panel Interviewing, Licences and resources of the Fire services and Probable sources of funds.

Disaster Management.

- (a) Natural disaster(Earthquake, flood, cyclone)
- (b) Air disaster (Plane crashes inhabitants)
- (c) Nuclear, Biological & chemical disaster (NBC)
- (d) Train carrying inflammable involved accident.

19. MECHANICS;

Rest and Motion of the body, Fundamental knowledge of Forces, Work, Energy and Machines.

Practical considerations and Problems related to all types of Simple Machines including Mechanical Advantages.

20. PLAN DRAWING & READING

Importance of plan reading, element of Engineering, Drawing Principle, Use and Value of plans and Explanation of Common symbols, Interpretation of symbols, Tactical exercises of Plan Drawings, Marking and syndicate discussion and Evaluation.

21. STORAGE & TRANSPORTATION OF HAZARDOUS MATERIALS

Introduction-types of dangerous substances, Composite sign, its structure and use Emergency Action Code (Hazchem) and International systems (Transport Emergency Cards)

Chemical Incidents and Decontamination Procedure, General rules for Fire Arrangements, Storage and Handling of the highly flammable liquids and liquefied Petroleum.

Methods of Transportations, Marking systems in use on Road, Rail and shipping and Air.

22. EVALUAION TECHNIQUE OF FIRE-FIGHTING APPLIANCES & EQUIPMENTS

- (a) Pumps and primers
- (b) Hose-Delivery & Suction
- (c) Extinguishing Media
 - (i) D.C.P
 - (ii) Foam (Protein AFFF, ATC/AFFF)

23. SPECIAL FIRES

Planning & Techniques in dealing with Port Fires Oil Terminal Fires, Oil Refinary Fires, Oil Platform Fires, Oil Tanker Fires, Oxygen Tanker Fries, LPG Botting Plant Fires.

24. KNOWLEDGE OF NATIONAL BUILDING CODE PART-III & IV.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2016

संख्या का0अ016/ह0अ012/2009/धा049/2016.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12), की धारा 49 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) “प्रशासकीय सचिव” से अभिप्राय है, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग;
 - (ख) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
 - (ग) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा चयन द्वारा की गई हो;
 - (घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;
 - (ङ) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक, अग्निशमन सेवा, हरियाणा;
 - (च) “संस्था” से अभिप्राय है :—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
 - (छ) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।
 - (ज) “सेवा” से अभिप्राय है हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ग) सेवा।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12) में दिए गए हैं।

भाग —II सेवा में भर्ती

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद समाविष्ट होंगे: पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।
4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो,—
 - (क) भारत का नागरिक; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा; या
 - (ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति, होगा जिस के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में, पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र—प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक हो। तथापि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों हेतु आयु में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर यथा विहित लागू होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना में 3 में वर्णित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में पचास प्रतिशत तक की ढील दी जा सकेगी, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निर्हताएं

8. (1) कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है : या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) अग्निशमन केन्द्र अधिकारी की दशा में; -

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत उप अग्निशमन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) निजी सहायक की दशा में; -

(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,—

- (ग) उप अग्निशमन अधिकारी की दशा में,—
- 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
 - 50 प्रतिशत लीडिंग फायरमैन में से पदोन्नति द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (घ) सहायक की दशा में,—
- कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, आशुटंककों तथा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा;
या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :
परन्तु कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक को या तो सहायक के पद पर या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति की लाइन चुननी होगी। विकल्प का एक बार प्रयोग करने पर बदला नहीं जाएगा ;
- (ङ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में,—
- कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :
परन्तु कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक को या तो सहायक के पद पर या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति की लाइन चुननी होगी। विकल्प का एक बार प्रयोग करने पर बदला नहीं जाएगा ;
- (च) लीडिंग फायरमैन की दशा में,—
- अग्निशमन संचालकों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (छ) अग्निशमन संचालक की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ज) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में,—
- 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
 - 50 प्रतिशत आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (झ) चालक की दशा में,—
- ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ञ) आशुटंकक की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा;
 - लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ट) लिपिक की दशा में,—
- 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
 - 20 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

कम्प्यूटर में राज्य
पात्रता परीक्षा।

10. (1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रैस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वाक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गए हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें पाठ्यक्रम के अनुसार टाईपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया पास प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्तों को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मैनेजमेंट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी की प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूँकि टाईपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है:-

- (i) एम.टेक./बी.टेक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यताप्राप्त संस्थान जैसे पालिटैक्निक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
- (ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) (पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;
- (iii) एच. के.सी.एल.के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सी.ज.) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच.एस.-सी. आई. टी.);
- (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाएगा; तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगछेदन, ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पॅरैलइसिस ऑफ रेडयल (रेडयल नॅ:व पॉ:लजि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नॅ:वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनॅरटिव डिसऑ:डऑ जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उक्त पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।

11. उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के बाद किया जाएगा, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट ड तथा च में यथा विहित है :

परन्तु यदि उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों से बीस गुना से अधिक हो, तो आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकता है :

परन्तु यह और कि कोई उम्मीदवार कम से कम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता है, तो उसे नियुक्ति योग्य नहीं समझा जाएगा तथा कोई उम्मीदवार अर्हक अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया जाएगा।

12. अग्निशमन केन्द्र अधिकारी, उप-अग्निशमन अधिकारी तथा लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति के लिए, उम्मीदवारों को विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। अग्निशमन केन्द्र अधिकारी, उप-अग्निशमन केन्द्र अधिकारी तथा लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट ड, च तथा छ में यथा विहित है।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी तथा उप-अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी, उप-अग्निशमन अधिकारी तथा लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति हेतु प्रक्रिया।

13. (1) जब कभी आयोग द्वारा निदेशक से मांग पत्र प्राप्त होता है, तो यह निदेशक को अग्निशमन संचालक उम्मीदवारों की ऐसी संख्या की सिफारिश करेगा जो मांग-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई है। सीधी भर्ती के लिए आयोग से अग्निशमन संचालक उम्मीदवारों की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्, उन्हें निदेशक द्वारा अनन्तिम नियुक्ति दी जाएगी तथा वे अनिवार्य फायर फाईटिंग प्रशिक्षण पर जाएंगे।

अग्निशमन संचालक की नियुक्ति, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा के लिए प्रक्रिया।

(2) अनन्तिम रूप से नियुक्त किए गए अग्निशमन संचालकों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा निर्धारित वजीफा दिया जाएगा।

(3) अनन्तिम रूप से नियुक्त अग्निशमन संचालक न्यूनतम छह मास की अवधि के लिए अनिवार्य फायर फाईटिंग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कोर्स और पाठ्यक्रम का ब्यौरा परिशिष्ट ज में विहित है।

(4) नियमित नियुक्ति केवल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा विभागीय परीक्षा पास करने के बाद दी जाएगी। तथापि, यदि कोई अनन्तिम रूप से नियुक्त अग्निशमन संचालक परीक्षा पास करने में असफल रहता है, तो उसे बाद में पुनः परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार को पुनः फायर फाईटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा उससे पुनः परीक्षा में बैठने के लिए अपेक्षा की जाएगी।

(5) अनन्तिम रूप से नियुक्त अग्निशमन संचालक को तब तक नियमित नियुक्ति नहीं दी जाएगी जब तक वह विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेता है।

(6) उम्मीदवार को दो वर्ष के भीतर विभागीय परीक्षा तथा प्रशिक्षण पास करना होगा, यदि वह विहित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा तथा प्रशिक्षण पास करने में असफल रहता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

14. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, -

परिवीक्षा।

परन्तु:-

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति अधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा-अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने के हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह -

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो –
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
- (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि, पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
- (क) उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो –
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसको स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है ; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो –
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

15. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी –

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा :
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा :
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में से ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

16. सेवा में विलय किए गए कर्मचारियों की ज्येष्ठता उनकी पूर्व में प्रारम्भिक नियुक्ति अथवा पदोन्नति, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से निर्धारित की जाएगी:

विलय किए गए कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारित करना।

परन्तु एक ही संवर्ग से विलय किए गए सदस्यों की दशा में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता संवर्ग जिनसे वे विलय किए गए थे में निर्धारित ज्येष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त अथवा पदोन्नत दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार निर्धारित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

17. सेवा में विलय किए गए कर्मचारियों का वेतन उन द्वारा उनकी पूर्व नियुक्ति में लिए जा रहे वेतन को संरक्षित करते हुए परिशिष्ट क में उनके पदों के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमानों में नियत किया जाएगा:

विलय किए गए कर्मचारियों का वेतन नियत करना।

परन्तु कर्मचारी का इस प्रकार नियत किया गया वेतन किसी भी दशा में उसके द्वारा उसकी पूर्व नियुक्ति में लिए जा रहे वेतन से कम नियत नहीं किया जाएगा।

18. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :-

- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो ; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय ;

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

19. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

20. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील)नियम, 1987, द्वारा शासित होंगे :

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

21. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा।

टीका लगवाना।

22. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

राजनिष्ठा की शपथ।

23. जहां, सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिख कर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

ढील देने की शक्ति।

विशेष उपबन्ध।

24. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

25. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

26. हरियाणा अग्निशमन कार्यालय अधीनस्थ सेवा (राज्य सेवा श्रेणी III) नियम, 1972, हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1982 तथा हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (एकीकरण तथा शर्तें) नियम, 1998 जहां तक इन नियमों द्वारा शासित पदों में विलय किए गए पदों को लागू है, इसके द्वारा, निरस्त किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	अग्निशमन केन्द्र अधिकारी	37	—	37	वेतन बैंड 2-9300-34800+3600 रुपये ग्रेड वेतन
2.	निजी सहायक	1	—	1	वेतन बैंड 2-9300-34800+3600 रुपये ग्रेड वेतन
3.	उप अग्निशमन अधिकारी	97	—	97	वेतन बैंड 2-9300-34800+3200 रुपये ग्रेड वेतन
4.	सहायक	10	—	10	वेतन बैंड 2-9300-34800+3200 रुपये ग्रेड वेतन
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	—	1	वेतन बैंड 2-9300-34800+3200 रुपये ग्रेड वेतन
6.	लीडिंग फायरमैन	297	—	297	वेतन बैंड 1-5200-20200+2400 रुपये ग्रेड वेतन
7.	अग्निशमन संचालक	2276	—	2276	वेतन बैंड 1-5200-20200+2400 रुपये ग्रेड वेतन
8.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	2	—	2	वेतन बैंड 1-5200-20200+2400 रुपये ग्रेड वेतन
9.	चालक	3	—	3	वेतन बैंड 1-5200-20200+2400 रुपये ग्रेड वेतन
10.	आशुटकक	2	—	2	वेतन बैंड 1-5200-20200+1900 रुपये ग्रेड वेतन
11.	लिपिक	11	—	11	वेतन बैंड 1-5200-20200+1900 रुपये ग्रेड वेतन।

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अग्निशमन केन्द्र अधिकारी	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (अग्नि) या क्यूमलेटिव ग्रेड पॉइन्ट एवरेज के समकक्ष,</p> <p>या</p> <p>स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान में स्नातक या क्यूमलेटिव ग्रेड पॉइन्ट एवरेज के समकक्ष; तथा</p> <p>राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन केन्द्र अधिकारी तथा अनुदेशक के पाठ्यक्रम में डिप्लोमा;</p> <p>या</p> <p>अग्निशमन इंजीनियर संस्था की स्नातकता परीक्षा;</p> <p>या</p> <p>यूनाइटेड किंगडम की अग्निशमन इंजीनियरिंग संस्था से सदस्यता परीक्षा पास हो ;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p> <p>(iii) न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात् 5'-7" उंचाई, 54 किलोग्राम भार तथा छाती बिना फुलाए 32" (इंच) तथा 34" (इंच) फुलाव (बिना कपड़े के), दृष्टि 6/6 (बिना चश्मा) तथा 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मा सहित या के बिना) ;</p> <p>(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;</p> <p>(v) परिशिष्ट ड में यथा विहित विभागीय परीक्षा अर्हक होना चाहिए ;</p> <p>(vi) भारी मोटर वाहन चालन लाइसेन्स ;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा:</p> <p>(i) उप-अग्निशमन अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन केन्द्र अधिकारी तथा अनुदेशक के पाठ्यक्रम में डिप्लोमा;</p> <p>(iii) विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-</p> <p>(i) अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>

2.	निजी सहायक	—	<p>पदोन्नति द्वारा:— वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:— (i) निजी सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
3.	उप अग्निशमन अधिकारी	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या क्यूमलेटिव ग्रेड प्वाईट एवरेज के समकक्ष;</p> <p>(ii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उप अग्निशमन अधिकारी का पाठ्यक्रम; या अग्निशमन इंजीनियर संस्था की स्नातकता परीक्षा; या यूनाइटेड किंगडम की अग्निशमन इंजीनियरिंग संस्था से सदस्यता परीक्षा पास हो ;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p> <p>(iv) न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात् 5'-7" उंचाई, 54 किलोग्राम भार तथा छाती बिना फुलाए 32" (इंच) तथा 34" (इंच) फुलाव (बिना कपड़े के), दृष्टि 6/6 (बिना चश्मा) तथा 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मा सहित या के बिना)</p> <p>(v) भारी मोटर वाहन चालन लाइसेन्स ;</p> <p>(vi) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;</p> <p>(vii) परिशिष्ट च में यथा विहित विभागीय परीक्षा अर्हक होना चाहिए ;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा : (i) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उप अग्निशमन अधिकारी का पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष; (ii) लीडिंग फायरमैन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; (iii) विभागीय परीक्षा अर्हक होना चाहिए ;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) उप अग्निशमन अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
4.	सहायक	—	<p>पदोन्नति द्वारा:— कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या आशुत्कक/लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	<p>पदोन्नति द्वारा: (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) 100 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट से उसका</p>

			<p>प्रतिलेखन तथा 80 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रति-लेखन में परीक्षा अर्हक करनी होगी;</p> <p>(टिप्पण: 4 प्रतिशत गलतियां परीक्षा अर्हक करने के लिए अनुज्ञात हैं);</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>(i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम दो वर्ष के लिए वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का पद धारण कर रहा हो; तथा</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
6.	लीडिंग फायरमैन	—	<p>पदोन्नति द्वारा :</p> <p>(i) अग्निशमन संचालक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) विभागीय परीक्षा अर्हक होना चाहिए ;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>(i) लीडिंग फायरमैन के रूप में दो वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
7.	अग्निशमन संचालक	<p>(i) 10+2;</p> <p>(ii) भारी मोटर वाहन चालन लाइसेन्स ;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p> <p>(iv) न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात् 5'-7" उंचाई, 54 किलोग्राम भार तथा छाती बिना फुलाए 32" (इंच) तथा 34" (इंच) फुलाव (बिना कपड़े के), दृष्टि 6/6 (बिना चश्मा) तथा 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मा सहित या के बिना)</p> <p>(v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;</p>	<p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:-</p> <p>(i) 10+2;</p> <p>(ii) भारी मोटर वाहन चालन लाइसेन्स ;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
8.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	<p>(i) 10+2;</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन तथा 80 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रति-लेखन में परीक्षा अर्हक करनी होगी;</p> <p>टिप्पण: 8 प्रतिशत गलतियां परीक्षा अर्हक करने के लिए अनुज्ञात हैं;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा:</p> <p>(i) आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन तथा 80 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रति-लेखन में परीक्षा अर्हक करनी होगी;</p> <p>टिप्पण: 8 प्रतिशत गलतियां परीक्षा अर्हक करने के लिए अनुज्ञात हैं;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>(i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम दो वर्ष के लिए कनिष्ठ आशुलिपिक का पद धारण कर रहा हो;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>

9.	चालक	<p>(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हल्का वाहन वैध चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालक परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा— (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हल्का वाहन वैध चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) श्रेणी IV पदों पर तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (v) विभाग द्वारा आयोजित चालक परीक्षा पास होनी चाहिए। (vi) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:— (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हल्का वाहन वैध चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (vi) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ;</p>
10.	आशुटकक	<p>(i) 10+2; (ii) 80 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन तथा 64 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रति-लेखन में परीक्षा अर्हक करनी होगी; टिप्पण: 8 प्रतिशत गलतियां परीक्षा अर्हक करने के लिए अनुज्ञात है ; (iii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा— (i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) 80 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन तथा 64 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रति लेखन में परीक्षा अर्हक करनी होगी; टिप्पण: 8 प्रतिशत गलतियां परीक्षा अर्हक करने के लिए अनुज्ञात है ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) आशुटकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
11.	लिपिक	<p>(i) 10+2; (ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा: (i) 10+2; (ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा; (iii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक/उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ।</p>

परिशिष्ट ग

(देखिए नियम 20(1))

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	अग्निशमन केन्द्र अधिकारी	निदेशक	1. छोटी शास्तियां :- (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्रधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानियां उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना;	निदेशक	प्रशासकीय सचिव।
2.	निजी सहायक		2. बड़ी शास्तियां :- (vi) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा जिससे सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ; (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ; (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः अयोग्यता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए , सामान्यतः अयोग्यता होगी।		
3.	उप अग्निशमन अधिकारी				
4.	सहायक				
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
6.	लीडिंग फायरमैन				
7.	अग्निशमन संचालक				
8.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
9.	चालक				
10.	आशुटकक				
11.	लिपिक				

परिशिष्ट घ
[देखिए नियम 20(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अग्निशमन केन्द्र अधिकारी	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवार्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	प्रशासकीय सचिव।
2.	निजी सहायक			
3.	उप अग्निशमन केन्द्र अधिकारी			
4.	सहायक			
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
6.	लीडिंग फायरमैन			
7.	अग्निशमन संचालक			
8.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
9.	चालक			
10.	आशुटकक			
11.	लिपिक			

परिशिष्ट ड

(देखिए नियम 11 तथा 12)

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:-

समय अवधि-3घंटे

कुल अंक-100

1. विमान अग्नि तथा बचाव

हवाई अड्डे का साधारण प्रयोग, विमान मार्ग, ए टी सी टावर हैन्गर इत्यादि, विमान अग्नि संगठन, जल साधन, विशेष उपकरण तथा उपस्कर। विमान निर्माण, किस्म, सामान्य विवरण तथा जोखिम सम्बद्ध, विमान दुर्घटना तथा अग्नि, बचाव तथा अग्निशमन तकनीक, सेना विमान में निष्कासन सीट, हवाई अड्डे में अग्नि रोकथाम।

2. वातानुकूलन तथा प्रशीतन

वातानुकूलन प्रणाली का प्रयोग, किस्म, खतरा तथा संरचनात्मक सावधानी, प्रत्येक प्रणाली में सम्बद्ध सावधानी तथा विशेष समस्या, प्रशीतन का सिद्धान्त तथा किस्म, साधारण प्रशीतक तथा उनकी विशेषता, मूल सावधानी, प्रशीतन तथा वातानुकूलन संयन्त्र में खतरा तथा नियन्त्रण का ढंग।

3. श्वास उपकरण

अग्नि सेवा में सांस उपकरणों का प्रयोग तथा आवश्यकता/महत्व, सम्पीडित वायु सांस उपकरण-सेट का विवरण, फेस-मास्क तथा मांग वाल्व, बहुविध तथा लघुकारक सीटी, हवाई-कम्पनी उपकरण, जांच तथा रखरखाव, सांस उपकरण की कार्य अवधि, सांस सामग्री उपकरण, विपत्ति संकेत इकाई, संचार उपकरण, गार्ड तथा कार्मिक लाइन-परिस्थिति तथा अवधि का संग्रहण, आई एस एस विशिष्टियों के लिए निर्देश।

4. भवन निर्माण तथा संरचनात्मक अग्नि संरक्षण

संरचना के घटकों का प्रयोग, अग्नि सहायता, अग्नि में संरचना के घटकों का व्यवहार तथा दीवार ढहने के कारण, भवन सामग्री तथा संरचना के घटकों के अग्नि विशेषता निर्धारण करने के लिए मापदण्ड, अग्निभार तथा अग्नि भार द्वारा अधिभोग की ग्रेडिंग, अधिभोग पर आधारित भवन का वर्गीकरण तथा भवन में बचाव के साधन-अग्नि संरक्षण सहित एन.एस.सी. व्यावसायिक संकट (खतरा) तथा संरचनात्मक अग्नि पूर्वोपाय के अनुसार एकाकी अग्नि का वर्गीकरण।

5. भौतिकी तथा रसायन-विज्ञान के लिए दहन

मामले की सम्पत्ति से सम्बन्धित दहन, विनाश का प्रक्रिया दहन के प्रभाव, स्वाभाविक-दहन, खतरनाक सामग्री।

6. अनुशासन

परिचय, अनुशासन की तुलना में नेतृत्व, अग्नि सेवा में अनुशासन के सामान्य नियम तथा सिद्धान्त।

7. विद्युत

उत्पादन स्रोत-ढंग, कण्डक्टर, इन्स्यूलेटर, ट्रांसफार्मर तथा उप-केन्द्रों का वितरण तथा विशेष खतरा, केबल, जन्क्शन बाक्स, वायरिंग सिस्टम, स्वीच-स्वीच गिअर इत्यादि, प्रकाश लैम्प, स्थिर विद्युत, इलैक्ट्रिकल खतरा-सदमा तथा संरक्षण, जीवन स्थापनाओं (व्यवस्थाओं) के लिए अग्निशमन तकनीक।

8. विस्फोटक

रासायनिक विस्फोटकों का प्रयोग, किस्म, विस्फोटकों का रासायनिक वर्गीकरण, भण्डारण तथा परिवहन के सिद्धान्त, अग्निशमन वर्गीकरण तथा अग्निशमन तकनीक।

9. अग्निशामक

निम्नलिखित का निर्माण तथा व्यावहारिक उपयोग

- (i) जल किस्म के शामक
- (ii) फोम तथा मैकेनिकल फोम शामक
- (iii) वाष्प दरजा-तरल या गैस शामक, हेलोन शामकों का प्रयोग।
- (iv) शुष्क रासायनिक पाउडर शामक, सभी प्रकार के शामकों की रखरखाव प्रक्रिया, शामकों के विभिन्न आकारों/किस्मों के लिए भारतीय मानक विशिष्टियां।

10. अग्नि सेवा प्रशासन

अग्नि सेवा संगठन की रचना:

- (क) अग्नि सेवा का संगठन
- (ख) कमाण्ड के विभिन्न स्तर पर ड्यूटी

- (ग) कमाण्ड की चैन
- (घ) रैंक तथा रैंक मार्किंग
- (ङ) प्रचालन अधिकारिता

केन्द्र प्रशासन

- (क) केन्द्र प्रबन्धन का प्रयोग
- (ख) केन्द्र स्तर पर रूटीन कार्य
- (ग) पर्यवेक्षण (निरीक्षण) तथा व्यक्ति प्रबन्धन प्रक्रिया के लिए अधीनस्थ रैंक के लिए केन्द्र स्तर पर केन्द्र अधिकारी की ड्यूटी, I, अन्य विभागों तथा सामान्य रूप से जनता में सम्पर्क कार्य।

11. प्रथम उपचार तथा एम्बुलेंस सहायता

अग्नि सेवा संरचना में प्रथम उपचार का महत्व तथा व्यक्ति के कार्य—रक्त परिसंचरणतन्त्र, तीव्र रक्तस्राव द्वारा घायल का साथ देना, प्रत्यक्ष दबाव—बिन्दु। आन्तरिक अंग से रक्तस्राव—चिह्न, निशान तथा प्रबन्धन, बेहोशी—कारण, क्लिनिकल—विशेषता तथा वर्गीकरण, जलने की आपातिक देखभाल, श्वास संकट—कारण, चिह्न निशान तथा आपातिक देखभाल, सदमा—कारण, चिह्न, निशान तथा प्रबन्धन।

12. स्थिर अग्निशमन स्थापना

स्थापना का प्रयोग, प्रयोजन तथा सिद्धान्त, स्थापना की किस्म—हस्ताचालित तथा स्वचालित दमन तथा उनका प्रयोग, भारत में प्रयुक्त देखभाल तथा रखरखाव प्रणाली तथा राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार विनियम। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार प्रक्रिया संहिता।

13. फोम तथा फोम से बने उपकरण

परिचय, विभिन्न फोम सान्द्र, फोम सान्द्र तथा शुष्क रासायनिक पाउडर की वृत्तिमूलक (क्रियात्मक) अपेक्षाएं तथा संगतता, फोम से बने उपकरण, फोम से बने उपकरण की देखभाल तथा रखरखाव। सम्बन्धित भारतीय मानक विशिष्टियों के संदर्भ।

14. विशेष जोखिम में अग्नि खतरा तथा अग्नि संरक्षण

- (क) टाउन अन्य गैस कार्य
- (ख) तेल स्थापना तथा टैंक
- (ग) मुख्य गैस की क्षेत्रपार पाईपलाईनें।
- (घ) औद्योगिक सामग्री तथा खतरनाक रासायन।
- (ङ) उच्च अग्नि/जीवन खतरों के स्थान।
 - (i) दाबादुकूलित सुरंग बनाना।
 - (ii) आक्सीजन सम्पन्न वातावरण बनाना।

15. अग्नि सेवा संचार

प्रतीक्षा कक्ष तथा नियन्त्रण कक्ष का महत्व तथा कार्य तथा इसकी अपेक्षाएं। अग्नि बुलाना तथा विशेष अग्नि बुलावा इत्यादि के निपटान की प्रक्रिया, अग्नि सेवा की संचार अपेक्षा की पहचान, अग्नि सेवा के संचार अपेक्षा के ब्योरे।

- (क) लिंक संचार
- (ख) रेडियो—संचार

अग्नि सेवा में संचार योजना।

16. अग्नि निवारण जांच प्रक्रिया

परीक्षण—सूची की तैयारी तथा अनुवर्ती प्रक्रिया तथा मास्टर रजिस्टर का रखरखाव।

17. गैस, अग्नि

गैसों का वर्गीकरण विशेषता तथा उनके खतरे, धूल विस्फोटन, एल पी जी, इसके खतरे तथा अग्नि सावधानी, गैस अग्नि शामक का अग्नि सेवा द्वारा प्रयुक्त ढंग।

18. होज

मानक वितरण तथा चूषण होज का प्रयोग, सामान्य विशेषता, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार सामग्री, निर्माण, रखरखाव, मरम्मत तथा जांच तथा नवीनतम विकास—सम्बन्धित भारतीय मानक विशिष्टियों के संदर्भ।

19. होज फिटिंग

मनक संयोजन, शाखाएं तथा नोजल, शाखा तथा नोजल की विशेष किस्में, शाखा धारक, रेडियल शाखाएं तथा मानीटर, खड़े पाईप, संग्रहण सिरा तथा चूषण-होज फिटिंग, पुश्तंग, एसाप्टर, विविध, होज फिटिंग तथा रैम्प, भारतीय मानक विशिष्टियों के संदर्भ सहित।

20. नल तथा जल आपूर्ति

अग्निभार के अनुसार 'अग्नि बहाव' की तकनीक का अवधारण, जल आपूर्ति का वितरण, अग्निशमन के लिए जल साधन, नलकों की अपेक्षाओं तथा मानकीकरण के सम्बन्ध में व्यावहारिक संहिता, नल गिअर, बहाव-मोटर का उपयोग, मार्किंग, जांच, देखभाल तथा अनुरक्षण।

21. हाइड्रोलिक्स

चूषण लिफ्ट तथा वायुमण्डलीय दबाव की विशेषता, पम्प-शक्ति तथा दक्षता, होज तथा नोजल निस्सरण में बहाव की विशेषता, इरीक्शन हानि, जेट-प्रतिक्रिया तथा जल हैमर, उपरोक्त का फार्मूला तथा समस्याएं।

22. आन्तरिक दहन इन्जन

आन्तरिक दहन इन्जन का प्रयोग, कार्यप्रणाली, इस सम्बन्ध में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, बिजली इकाइयों का विवरण तथा पेट्रोल तथा डीजल इन्जन के सम्बन्ध में प्रणाली।

23. अग्नि का जांच

ज्वलन के अग्नि बिन्दु के कारणों की पहचान का प्रयोग, सिद्धान्त ज्वलन का समय तथा ज्वलन का कारण, सन्देह की मुख्य परिस्थितियां तथा आगजनी का प्रमुख उद्देश्य, आगजनी की दशा में अग्निशमन तकनीक तथा साक्ष्य को सुरक्षित रखना।

24. सीढ़ी

कृत्रिम एरियल सीढ़ी का प्रयोग, निर्माण, उपयोग, टी.टी.एल की जांच तथा रखरखाव व्यावहारिक प्रचालन का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ढंग तथा तकनीक तथा सुरक्षा अपेक्षा।

25. पम्प

प्रयोग-अपकेन्द्र पम्प तथा इसकी विशेषता, प्राईमर की विभिन्न किस्म, पम्पिंग उपकरणों के डिजाइन पैरामीटर तथा उनकी विशेषता।

26. प्लान रीडिंग

प्लान रीडिंग का महत्व, इसके अपेक्षाएं तथा मानक निशान की तैयारी, भवन प्लान की रीडिंग की प्रस्तावना।

27. व्यावहारिक फायरमैनशिप

अग्नि ग्राउंड पर पालन किए जाने वाले सिद्धान्त अर्थात् सर्वेक्षण तथा रिसी तथा आकार का अंदाजा लगाना, प्रवेश का ढंग, जांच-पड़ताल तथा बचाव के ढंग, धुएं तथा अंधेरे में कार्य करना, गर्म वातावरण, अग्नि संवातन पर केन्द्रीय तथा अग्नि/घटना के बाद प्रक्रिया, अग्निशमन युद्धनीति तथा रणनीति (युक्ति)।

28. बचाव ड्रील

फायरमैन की लिफ्ट तथा व्यावहारिक ड्रिल ध्वनि-ग्रह, अग्नि उपकरण का प्रयोग करते हुए विभिन्न ढंगों से बचाव।

29. पुनरुज्जीवन

हस्त पुनरुज्जीवन के विभिन्न ढंग, उनके लाभ तथा हानि, पुनरुज्जीवन सेट का वर्गीकरण, उनका निर्माण तथा विवरण, उसी विशेष मामले में बेहोश (एसफिसिएटिड) व्यक्ति के चिह्न तथा निशान, मामले जहां कृत्रिम श्वसन की सिफारिश नहीं की गई है।

30. ग्रामीण तथा वन अग्नि

ग्रामीण अग्नि के कारण, विशिष्टियां, ग्रामीण अग्नि का सामना करने में कठिनाईयां, ग्रामीण अग्निशमन में नियोजित साधारण ढंग तथा विशेष तकनीक।

31. बचाव

बचाव की भूमिका, महत्व, हानि के विभिन्न घटक तथा अग्नि के पूर्व, दौरान तथा बाद में बचाव कार्य के लिए उनका उपाय, पूर्व प्लानिंग तथा प्रक्रिया।

32. जहाज अग्नि

जहाज की संरचनात्मक पारिभाषिक शब्दावली जहाज में अग्नि के कारण, जहाज अग्नि की दशा में प्राधिकारी तथा उनकी जिम्मेवारी। सूखी गोदी में जहाज में अग्नि, अग्निशमन प्रक्रिया, जहाज में अग्निशमन करते समय सोच-विचार तथा समस्याएं, जहाजों में अग्नि निवारण-नौकाघाट में अग्नि संरक्षण।

33. लघु गिअर

विद्युत संचालित गिअर सहित अग्नि सेवा में प्रयुक्त विभिन्न कृत्रिम लघु गिअर के कार्य तथा निर्माण, आक्सी-ऐसीटिलीन कटिंगसेटों का विवरण तथा परिचालन उपयोग, आक्सी-प्रोपेन कटिंग सेट, फिनूमैटिक जैक, पम्पिंग कुशन, ब्लोवर एगजास्टर तथा संरक्षित कपड़ों की विभिन्न किस्में। पावरड सप्रेडर, लिफ्टिंग बैग, पावरड आरा तथा कटिंग औजार।

34. विशेष उपकरण

मानक विशिष्टियों के अनुसार आपातक टैंडर, क्रेश (धमाका) अग्नि, टैंडर, टी.टी.एल., हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, होज लेईंग लारी, ब्रेक-डाउन वैन, नियन्त्रण इकाई, कैंटीन वैन, डी.सी.पी. टैंडर, फोम टैंडर।

35. विशेष सेवा

साधारण साधन द्वारा बचाव, अग्नि सेवा उपस्करण तथा उपकरण द्वारा बचाव, लिफ्ट से बचाव, मल-निकास तथा कुओं, तालाबों, नदियां से बचाव, भूकम्प तथा बाढ़ के दौरान बचाव, परमाणु विकिरण घटना से बचाव, जहरीली गैसों की उपस्थिति में बचाव प्रक्रिया, उच्च मार्ग दुर्घटना की दशा में बचाव समस्याएं तथा बचाव प्रक्रिया, जल बचाव।

36. खतरनाक माल का भण्डारण

खतरनाक माल के भण्डारण के लिए अनिवार्य परिस्थितियों का वर्गीकरण तथा अध्ययन, खतरनाक माल के परिवहन के लिए मानक अपेक्षाएं। अग्नि सेवा प्राधिकारी दौरा। दिन के समय शहर संसाधन के माध्यम से हेजचैम संचलन के सड़क नियन्त्रण पर हेजचैम की दुर्घटना पर प्रचालन अधिकारी द्वारा कार्रवाई।

37. दस्ता (स्कवाड) ड्रिल तथा पी.टी.

भारतीय मानक के अनुसार परम्परागत अग्नि टैंडर तथा उपकरण के विभिन्न भारतीय विशिष्टियों का अध्ययन।

38. जल तथा जल रिले

आई.एस. के संदर्भ में जल की आवश्यकता। जल रिले और परिचालन संकेतों के विभिन्न ढंग के सिद्धान्त और व्यवहारिक विचार।

39. जल निवेदा

भारतीय मानकों के अनुसार विभिन्न भारतीय अभिसामयिक अग्निशमन निवेदाओं और उपकरण की विनिर्देश का अध्ययन करना।

40. अग्नि उपकरण तथा उपस्कर

हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, अग्रिम बचाव टैंडर, जल बाउसर, जल टैंडर तथा फोम क्रेश टैंडर।

41. अग्नि निवारण तथा अग्नि संरक्षण

42. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग—III तथा IV का ज्ञान।

परिशिष्ट च

(देखिए नियम 11 तथा 12)

उप अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:-

समय अवधि-3घंटे

कुल अंक-100

1. भवन निर्माण

परिचय, विषय का महत्व, कुछ शब्दों की परिभाषा, भवन का वर्गीकरण, भवन सामग्री तथा अग्नि में उनका बरताव, उनकी स्थिति, निर्माण तथा अग्निशमन उपायों की व्यवस्था, अग्नि जोन, अस्थाई भवन के सम्बन्ध में अग्नि बचाव का महत्व।

2. नियत अग्निशमन स्थापना

परिचय, स्पिन्गकलर की किस्म, स्थापना की किस्म, स्वचालित स्पिन्गकलर का सिद्धान्त, जांच तथा रखरखाव, मूसलधार वृष्टि प्रणाली, राईजिंग मेन, होज रील, डाउन कारनर, उच्च विस्तार (फैलाव) फोम, सी.ओ. 2, हैलोन, स्वचालित अग्नि अलार्म प्रणाली।

3. ग्रामीण अग्नि

परिचय, अग्नि की किस्म, विशिष्ट लक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि के कारण, सूखी घास ढेर, अग्निशमन प्रभावित करने वाले घटक, उपकरण तथा उपस्कर, सर्वेक्षण।

4. विमान अग्नि तथा बचाव

परिचय, ई.वी.ई क्रैस में अपेक्षित सामान्य सूचना, बचाव कार्यवाई के सामान्य सिद्धान्त, विमान में शीघ्रता से प्रवेश का साधन, विमान में प्रवेश के बाद, सामान्य सिद्धान्त या अग्निशमन।

5. जहाज अग्नि

परिचय, नौ-परिवहन शब्दों, यात्री जहाज, कारगो जहाज, लार्ज टैंकर तथा संयोजन कैरियर की शब्दावली।

6. बचाव

परिचय, बचाव मार्ग के घटक, बाहरी सीढ़ी या अग्नि बचाव, सर्पिल बचाव, छत निकास, अग्नि टावर, रैम्प, दरवाजा, रास्ते, चक्रद्वार, बरामदे तथा गलियारा रास्ते, क्षैतिज निकास, निकास अपेक्षाएं, क्षैतिज निकास अनुमति।

7. फोम तथा फोम से बनाए गए उपकरण

परिचय, उपयोग का क्षेत्र, रासायनिक फोम, मैकेनिकल फोम, फोम सान्द्र, फोम सान्द्र की किस्म, फोम सान्द्र का भण्डारण, कार्य की कार्यवाई, फोम का स्वामित्व, फोम से बने उपकरण।

8. होज

परिचय, होजिज की किस्म, प्रयुक्त सामग्री, गैर-परिस्रवण होज, होज रील होज, होज का साधारण प्रचालन दुरुपयोग, सफाई तथा शोषक, मानक जांच।

9. लघु गिअर

परिचय, परम्परागत औजार, विशिष्ट उपकरण, विविध विशेष औजार तथा उपकरण, लिफ्टिंग उपकरण, लैम्प तथा प्रकाश सैट।

10. सीढ़ी (जीना)

परिचय, निर्माण, सावधानी, रखरखाव, शब्दावली, मानक जांच, देखभाल तथा रखरखाव, सुरक्षा उपकरण, स्वीकृति जांच, राउंड जांच।

11. पम्प तथा पम्प संचालन

परिचय, प्रयोग में सामान्य किस्मों का वर्गीकरण, निर्माण, हानि, लाभ, गम्भीरता का ढंग, जांच तथा दोष (त्रुटि), निष्कर्ष, देखभाल तथा रखरखाव, मानक जांच।

12. जल टैंडर

परिचय, जल टैंडर की किस्म, जल टैंडर का उपयोग, अग्नि पम्प, होज रील तथा होज तथा इसके कार्य, अग्नि मार्ग वाल्व की व्यवस्था तथा इसका संचालन, सीढ़ी, स्परेज पाईप, आई. एस. एस. 950 के अनुसार जल टैंडर का निर्माण तथा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता।

13. व्यावहारिक फायरमैनशिप

परिचय, उपयुक्त फायरमैन की योग्यता, केन्द्र स्तर पर ड्यूटी, अग्नि के लिए रास्ते पर, अग्नि ग्राउण्ड पर, अग्नि को नियन्त्रण में लाना, संवातन, अग्नि से केन्द्र में वापसी पर, अग्नि ग्राउंड पर व्यावहारिक अग्निशमन, अग्नि परिणाम, भवन

ढहने के चिह्न, प्रवेश का ढंग, बचाव, अन्धेरे में कार्य, धुंए में कार्य, ज्वलनशील गैस रिसने के वातावरण में कार्य, इलैक्ट्रिकल तारों में फंसे व्यक्ति की रीक्यूईंग।

14. होज फिटिंग

परिचय, संयोजन, शाखाएं तथा नोजल, संग्रहण सिरा तथा चूषण होज फिटिंग, अनुकूलक, विविध होज फिटिंग, होज रैम्प।

15. मूल भौतिकी तथा रसायन विज्ञान

परिचय, दहन, ताप, ईन्धन, तेजाब, विस्फोट।

16. विद्युत

परिचय, विद्युत का मूल, विद्युत का उत्पादन तथा वितरण, विद्युत अग्नि के सामान्य कारण तथा उपचारी उपाय, स्थिर विद्युत तथा इसका खतरा।

17. हाईड्रोलिक

परिचय, दबाव तथा सिरा, दबाव तथा बहाव, ऋतुःसाव, नोजल निस्सरण, जल अपेक्षा।

18. नल तथा फिटिंग

परिचय, जल वितरण प्रणाली, नलों की किस्म तथा बनावट, नलों के पार्ट, नल गिअर तथा उपकरण, मार्किंग, देखभाल तथा रखरखाव, नलों का संचालन, बहाव गेज।

19. जल रिले

परिचय, ढंग, पम्प तथा रिले के बीच मानक दूरी, प्रचालन, होज लेईंग लारी, संचार।

20. सांस उपस्कर

परिचय, सांस उपस्कर की किस्म तथा पार्ट, जांच तथा रखरखाव प्रक्रिया, सिलेंडर की देखभाल तथा रखरखाव।

21. रासायनिक शामक

परिचय, अग्नि का वर्गीकरण, अग्नि की विभिन्न किस्मों के लिए शामक की उपयुक्तता, अग्निशामक की किस्म, प्रयोग, जांच, सुरक्षा उपकरण, निस्सरण कार्य, लाभ तथा हानि, शुष्क पाउडर की किस्म।

22. प्रथम उपचार तथा पुनरुज्जीवन

सदमें, घायल, जलने, रक्तस्राव, अस्थिभंग तथा श्वसन अभाव के मामलों में पहुंच तथा उत्तरवर्ती उपचार का ढंग।

23. परिचय, प्रथम उपचार का गुण, प्रथम उपचारक की ड्यूटी, शरीर पार्ट तथा प्रणाली, अग्नि घटना का सामना करने में चोट, जलन तथा द्रवदाह, चिह्न तथा निशान, प्रबन्धन, घायल तथा हेमोरहैज, रक्तस्राव तथा संक्रमण, प्रबन्धन, अस्थिभंग, रोगी का अवलोकन, फूसट बाईट, सांप बाईट, पुनरुज्जीवन।

24. चौकसी कक्ष प्रक्रिया

परिचय, संचार का संघटक, चौकसी कक्ष, नियंत्रण कक्ष, साधारण अपेक्षाएं, उपकरण, केन्द्र ग्राउंड, निकालना ग्राउंड, टैलीफोन काल क्षेत्र, मोबीलाईजिंग बोर्ड, लाग या घटना पुस्तक, फायरलैस उपस्कर, अग्निकाल का निपटान।

25. बचाव

परिचय, बचाव कार्य के लिए उपकरण, उपयोग का ढंग, अग्नि में बचाव कार्य।

26. केन्द्र प्रशासन

परिचय, कार्यकारी ड्यूटी, प्रशासकीय ड्यूटी, केन्द्र अनुशासन।

27. विशेष सेवा

परिचय, लिफ्ट बचाव, सीवर से बचाव, सड़क तथा उच्च मार्ग दुर्घटना, प्रचालन प्रक्रिया, विध्वंस भवन से बचाव, बचाव के स्तर, कुएं से बचाव, पशुओं से बचाव।

28. अनुशासन

परिचय, अनुशासन का महत्त्व, साधारण सिद्धान्त, अनिवार्य अनुशासनता, बाहरी चिह्न।

परिशिष्ट छ

(देखिए नियम 12)

लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:-

समय अवधि-3घंटे

कुल अंक-100

1. श्वास उपकरण तथा पुनरुज्जीवन

उनकी सीमा सहित किस्म तथा प्रयोग, मानक जांच, देखभाल तथा रखरखाव।

2. रासायनिक शामक

शामकों की किस्म, प्रयोग तथा रखरखाव, लाभ तथा हानि, मानक जांच।

3. होज तथा होज ड्रिल

होज का विवरण तथा किस्म, विनिर्माण का ढंग, रजत तागा, लड़ी या प्लाई धागा, ताना-बाना, होज में प्रयुक्त विशिष्ट साधारण तथा टुइल (बुनना) बुनावट सामग्री, देखभाल तथा रखरखाव, मानक जांच, क्षय के कारण।

4. नलका तथा होज फिटिंग

नलकों की किस्म तथा इसके उपयोग, वितरण होज संयोजन, क्षणिक (तात्कालिक), चूषण होज संयोजन, धागा (थ्रैडिड), शाखा धारक तथा मानीटर, खड़ा पाईप, संग्रहण सिरा, चूषण छलनी, पुश्तंग, अडापटर, खाली टोपी, होज रैम्प।

5. फोम तथा फोम उपकरण

फोम का विवरण, फोम मिश्रण की किस्म, मैकेनिकल फोम के उत्पादन के लिए अपेक्षाएं, फोम से बने उपकरण (एफ एम बीपी-02, एफ एम बी पी संख्या-10, एफ एम बीपीसंख्या 220, एफ बी 5xविवरण, पार्ट तथा निर्माण, खपत की कार्य गति, उत्पादन, अनुप्रयोग के ढंग का प्रयोग, आधान तथा उपकरण की देखभाल तथा रखरखाव।

6. लघु गिअर

1. ब्रेकिंग अवे गियर-हथौड़ा, छेनी, सोलो, (एकल) गैन्ती, कुल्हाड़ी, सब्बल, डोर ओपनर।

2. कटिंग अवे गियर- कुल्हाड़ी, ताला तथा बोल्ट कटर, लकड़ी आरा, काटने वाला आरा, लोहा आरी, गंडासा, हे नाईवज।

3. बचाव गियर-जम्पिंग शीट, स्वचालित निकास, स्लिन्ग बेल्ट, सुरक्षा, वैल हुक, लाईफ ब्याय, लाईफ जैकेट, स्ट्रैचर, प्रथम उपचार बाक्स, लाइन, फायरमैन की कुल्हाड़ी, रबड़ दस्ताने, गम बुट, हैलमेट, सिलिंग हुक।

4. प्रकाश- लालटेन, पराफिन लैम्प, बीए लैम्प, फ्लड लाइट, सर्च लाइट, इलैक्ट्रिक टार्च।

5. टर्निंग आवर गिअर- बेलचा, कुदाल (फावड़ा), कांटा, ड्रैग हुक, सिलिंग हुक, प्लस की टुलज।

6. परिवहन गिअर-लाईफ जैकेट, प्रारम्भिक निपटान, कटिंग चिमटा, पेचकश, दोहरा सिरा पाना (स्पैनर), पेच तथा पाईप रैन्च, ग्लैन्ड पाना (स्पैनर), प्लग पाना (स्पैनर), टायर लीवर, पहिया पट्टी, ग्रीस गन, हथौड़ा, फाईल।

7. विविध तथा विशेष गिअर- बालटी, धौंकनी तथा निर्वातक, वैलिंग कटिंग सेट, इलैक्ट्रिक जनरेटर, चेन सा, ऐस्वेस्टास सूट, कम्बल, अग्नि घण्टी, दोलन स्ट्रेचर, स्वाचालित निकास, अग्नि थापी, पुनरुज्जीवन उपकरण।

7. पम्प तथा प्राइमिंग

पम्पों का विवरण, पम्पों की किस्म (बल पम्प, लिफ्ट पम्प, बालटी तथा मूसल पम्प, धूर्णक पम्प तथा अपकेन्द्र पम्प)।

अपकेन्द्र पम्प का विवरण- पार्ट, ग्लैन्ड पैकिंग तथा उनके कार्य, लाभ तथा हानि, प्राइमर किस्म (पश्चाग्र, सील, अधिष्ठापन), वायुमण्डलीय, दबाव का महत्व, मोटर पम्प तथा ट्रेलर पम्प, पम्पों का आकार (सुवाद्ध, बड़ा, हल्का, भारी तथा अतिरिक्त ड्यूटी)।

शीतलन (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष)- देखभाल, रखरखाव, तथा विभिन्न जांच (मासिक निर्गम जांच, छह मास निर्वात जांच तथा चूषण जांच, साप्ताहिक दबाव जांच, छह मास गहरी लिफ्ट जांच, गेज तथा उनका कार्य, व्यावहारिक पम्प, प्रचालन संकेत)

8. ड्रिल सहित बचाव सीढ़ी, विस्तार सीढ़ी तथा हुक सीढ़ी

उनकी सीमाओं सहित सीढ़ी की किस्म तथा उपयोग, देखभाल तथा रखरखाव, सीढ़ी की मानक जांच तथा मानक ड्रिल।

9. व्यवहारिक फायरमैनशिप

फायरमैन का दरजा तथा उसकी

(क) केन्द्र में आने पर ड्यूटी

(ख) अग्नि के लिए रास्ता (यातायात विनियमन, अग्नि घंटी, सड़क दुर्घटना)

(ग) स्थान पर पहुंचने पर ड्यूटी (नियन्त्रण बिन्दु या प्रथम उपस्थिति के ओ/सी का शीघ्र सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट करना/संदेश भेजना, पम्पों को लगाना, नलकों में सेटिंग करना, होज को बिछाना, प्रवेश का ढंग, बचाव, धुंए तथा अन्धरे में कार्य करने वाले समूह (व्यक्तियों) को हटाना, कक्ष की छानबीन करना, अग्नि के निष्कर्ष तथा अग्निशमन)।

(घ) अग्नि के बाद (केन्द्र में वापसी पर ड्यूटी करना)।

10. स्थलाकृति

प्रमुख अवस्थाओं, मुख्य सड़कों, ऐसे अवस्थानों को जोड़ने के नामों, विभिन्न बाजारों तथा महत्वपूर्ण लेन के नामों सहित नगर/शहर की ले-आउट का ज्ञान; सम्बन्धित अग्नि केन्द्र द्वारा काम किए गए क्षेत्र में अग्नि खतरे का साधारण फैलाव।

11. चौकसी प्रक्रिया

चौकसी कक्ष तथा नियन्त्रण कक्ष की परिभाषा तथा अपेक्षाएं, टेलीफोन काल्ज को प्राप्त करना तथा संप्रेषित करना, सभी प्रकार के रिकार्ड को रखना तथा इसका महत्व, मानक संदेश।

12. जल समस्या

जल का मिश्रण, वायुमण्डलीय दबाव, प्रति धन फुट (क्युबिक फुट) जल का भार तथा क्षमता, व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक चूषण लिफ्ट, घर्षण हानि, लिपिटंग जल तथा जल हैमर।

13. जल रिले

परिभाषा, किस्म (खुला, बन्द तथा कलक्टर पम्पिंग, विभिन्न स्थितियों में पम्पों के नाम, सप्लाई पम्प, मध्यमवर्ती पम्प, वितरण पम्प,) पम्पों का अंतरण, लाभ तथा हानि, रिले तथा गेजों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु।

14. प्रथम उपचार

सदमा, घायल, जलने, रक्तस्राव, अस्थिभंग तथा श्वसन अभाव के मामलों में पहुंच तथा परवर्ती उपचार का ढंग।

15. गांठ तथा लाइन

प्रयोग में लाइनों की किस्म, निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री के गुण सहित नाम, अग्नि सेवा में प्रयुक्त लाइनों के नाम, लम्बाई, आकार, प्रयोग, मैकेनिकल तथा रासायनिक विकृति, देखभाल, रखरखाव तथा मानक जांच।

परिशिष्ट ज
(देखिए नियम 13)

अग्निशमन संचालक के पद हेतु विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:—

1. **अग्नि का रसायन**
अग्नि का दहन, विषयवस्तु, कारण तथा किस्म, अग्निशामक, उपलब्ध ढंग, भुखमरी, सांस रोकना, शीतलन, पानी के लाभ।
2. **अग्निशामक रसायन**
शामकों की किस्म, उपयोग तथा रखरखाव।
3. **होज**
होज की किस्म, देखभाल तथा रखरखाव, मानक जांच, क्षय के कारण।
4. **होज फिटिंग तथा अग्नि नल**
वितरण होज संयोजन, क्षणिक (तात्कालिक), चूषण होज संयोजन, धागा (थ्रेडिड), शाखा अडापटर तथा मानीटर, खड़ा पाईप, संग्रहण शिरा, चूषण छलनी, पुश्तंग, अडापटर, खाली टोपी, होज रैम्प, नलकों की किस्म, देखभाल तथा रखरखाव।
5. **फोम तथा फोम उपकरण**
फोम का विवरण, फोम मिश्रण की किस्म, मैकेनिकल फोम के उत्पादन के लिए अपेक्षाएं, फोम से बने उपकरण (एफ एम बीपी-02, एफ एम बी पी संख्या-10, एफ एम बीपी संख्या 220, एफ बी 5xविवरण, पार्ट तथा निर्माण, उत्पादन, अनुप्रयोग के ढंग का प्रयोग, आधान तथा उपकरण की देखभाल तथा रखरखाव)।
6. **लघु गियर**
ब्रेकिंग अवे गियर, कटिंग अवे गियर, बचाव गियर, प्रकाश, टर्निंग आवर गियर, परिवहन गियर, विविध तथा विशेष गियर।
7. **पम्प तथा प्राइमर**
पम्पों का विवरण, पम्पों की किस्म (बल पम्प, लिफ्ट पम्प, बालटी तथा मूसल पम्प, घूर्णक पम्प तथा अपकेन्द्र पम्प) शीतलन (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष)—देखभाल, रखरखाव, तथा विभिन्न जांच (मासिक निर्गम जांच, छह मास निर्वात जांच तथा चूषण जांच, साप्ताहिक दबाव जांच, छह मास गहरी लिफ्ट जांच, गेज तथा उनका कार्य, व्यावहारिक पम्प, प्रचालन संकेत)।
8. **अग्नि सेवा सीढ़ी**
सीढ़ी की किस्म, उपयोग, देखभाल तथा रखरखाव, विस्तार सीढ़ी की मानक जांच।
9. **व्यावहारिक फायरमैनशिप**
फायरमैन का दरजा तथा उसकी ड्यूटी, संदेश भेजना, पम्पों को लगाना, नलकों में सेटिंग करना, होज को बिछाना, प्रवेश का ढंग, बचाव, धुएं या अन्धेरे में काम करने वाले (व्यक्तियों) को हटाना, कक्ष की छानबीन करना, अग्नि के निष्कर्ष तथा अग्निशमन।
10. **श्वास उपकरण**
परिचय, पहनने के कपड़ों की किस्म, पार्ट के नाम तथा कार्य, विषय-वस्तु, श्रेणी (अनुक्रम), प्रचालन उपयोग, सिग्नल, रिचार्जिंग, देखभाल, रखरखाव तथा जांच।
11. **चौकसी कक्ष तथा इसकी क्रियात्मक प्रणाली**
चौकसी कक्ष तथा नियन्त्रण की परिभाषा तथा अपेक्षाएं, टेलीफोन काल को प्राप्त करना तथा संप्रेषित करना, घटना पुस्तक का रखरखाव तथा इसका महत्व, मानक संदेश।
12. **रिले पम्पिंग**
परिभाषा, किस्म (खुला, बन्द तथा कलक्टर पम्पिंग), विभिन्न स्थितियों में पम्पों के नाम, सप्लाई पम्प, मध्यवर्ती पम्प, वितरण पम्प, पम्पों का अंतरण, लाभ तथा हानि, रिले तथा गेजों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु।
13. **भवन निर्माण**
भवन का वर्गीकरण, भवन की किस्म।

14. **नियत स्थापना**

स्प्रिन्गकलर, संसूचक, प्रांगण नल, होज रील, लैण्डिंग वाल्व, मूसलधार वृष्टि तथा खड़-पट्ट, स्प्रिन्गकलर सिरा, अग्नि सेवा प्रवेशिका तथा ड्रा आउट कनेक्शन ।

15. **बचाव**

परिभाषा—हानि (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष) बचाव के लिए अपेक्षित उपकरण, भवन से पानी को साफ करना, पानी तथा धुंआ हानि को कम करना ।

16. **ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि**

अग्नि बुलावा में कठिनाईयां (संचार का साधन) देरी, सड़क हालात, जल आपूर्ति प्रणाली की कमी, निवास तथा भण्डार की ज्वलनशील प्रकृति, ग्रामीण अग्नि के कारण, ग्रामीण अग्नि के लिए साधारण उपकरण, होज तथा शाखाएं, अग्निशमन के ढंग, अग्नि थापी, वायु बचाव, ओट (आश्रय) वार्ड, अग्नि ब्रेक, प्राकृतिक अग्नि ब्रेक ।

17. **विशेष सेवा बुलावा**

मलनिकास (मलनिकास गैस) कुओं, नदी तथा तालाबों, हल्की दुर्घटना, भवन ढहने, सड़क दुर्घटना, इलैक्ट्रोक्व्यूटिड, वृक्ष या ऊंचे भवनों पर उन्मादी (पागल), सड़क पर तेजाब, गैस का रिसाव, वायु तबाही, रेल दुर्घटना, अग्नि में फंसा जीवन, बाढ़, पानी इत्यादी से बचाव, भू-स्खलन तथा पशुओं का बचाव करते समय संकेत ।

18. **अनुशासन**

अनुशासन की परिभाषा, आदेश, चिह्न, अच्छे अनुशासन के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं, कुछ बातें जो एक अच्छे अनुशासक को नहीं करनी चाहिए, अनुशासन एक कला है, अग्नि सेवा के अनुशासन का महत्व ।

19. **विशेष उपकरण**

वाहनों की किस्म, नाम, कार्य, महत्व, रखरखाव तथा प्रचालन (हजमत वैन, अग्रिम बचाव टेंडर तथा जल मिस्ट (कुहरा) ।

20. **प्रथम उपचार**

सदमा, घायल, जलने, रक्तस्राव, अस्थिभंग तथा श्वसन अभाव के मामलों में पहुंच तथा परवर्ती उपचार का ढंग ।

परिचय, प्रथम उपचार का स्वरूप, प्रथम मददगार की ड्यूटी, शरी पार्ट तथा प्रणाली, अग्नि दुर्घटना का सामना करने में चोट (क्षति), जलना तथा द्रवदाह, चिह्न तथा निशान, प्रबन्धन, घायल तथा हेमोरहेज, रक्तस्राव तथा संक्रमण, प्रबन्धन, अस्थिभंग, रोगी का अवलोकन, फुसट बाईट, सांप बाईट ।

21. **रस्सी तथा लाइन**

निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की प्रकार सहित नाम, अग्नि सेवा में प्रयुक्त लाईनों के नाम, लम्बाई, आकार, प्रयोग, मैकेनिकल तथा रासायनिक विकृति, देखभाल, रखरखाव ।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT**
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**Notification**

The 3rd June, 2016

No.S.O.16/H.A.12/2009/S.49/2016.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution of India and sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 49 of the Haryana Fire Services Act, 2009 (12 of 2009), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Fire (Group C) Service, namely:-

PART-I GENERAL

- Short title. **1.** These rules may be called the Haryana Fire (Group C) Service Rules, 2016.
- Definitions. **2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) “administrative secretary” means the administrative secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department;
 - (b) “Commission” means the Haryana Staff Selection Commission;
 - (c) “direct recruitment” means an appointment made by selection otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (d) “Government” means the Government of Haryana in the administrative department;
 - (e) “Director” means the Director, Fire Services, Haryana;
 - (f) “institution” means,-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
 - (g) “recognized university” means.—
 - (i) any university incorporated by law in India;
 - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purposes of these rules.
 - (h) “Service” means the Haryana Fire (Group C) Service.
- (2) Words and expression used but not defined in these rules shall respectively have the same meaning as assigned to them in the Haryana Fire Service Act, 2009 (12 of 2009).

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

- Number and character of posts. **3.** The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:
Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.
- Nationality, domicile and character of candidates recruited to service. **4.** (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is ,-
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:
 Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.
- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than forty two years of age, on the last date of submission of application to the Commission. However, the relaxation in age for Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons shall be applicable as prescribed by the Government, from time to time. Age.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the appointing authority mentioned in column 3 of Appendix C to these rules. Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment: Qualifications.

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty percent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physical Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,- Disqualifications.
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,- Mode of recruitment .
(a) in the case of Fire Station Officer,-
(i) 50% by direct recruitment; and
(ii) 50% by promotion from amongst the Sub Fire Officers; or
(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.
(b) in the case of Personal Assistant,-
(i) by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers; or
(ii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or Government of India.
(c) in the case of Sub-Fire Officer,-
(i) 50% by direct recruitment; and
(ii) 50% by promotion from amongst the Leading Firemen; or
(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.
(d) in the case of Assistant,-
(i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers, Stenotypists and Clerks; or
(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.

Provided that Junior Scale Stenographer / Steno-typist shall opt for line of promotion either to the post of Assistant or to the post of Senior Scale Stenographer. The option once exercised shall not be changed.

- (e) in the case of Senior Scale Stenographer:-
- (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or Government of India:

Provided that Junior Scale Stenographer shall opt for line of promotion either to the post of Assistant or to the post of Senior Scale Stenographer. The option once exercised shall not be changed.

- (f) in the case of Leading Fireman:-
- (i) by promotion from amongst the Fire Operators; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (g) in the case of Fire Operator:-
- (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (h) in the case of Junior Scale Stenographer:-
- (i) 50% by direct recruitment; and
 - (ii) 50% by promotion from amongst Steno-typists; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or Government of India.
- (i) in the case of Driver:-
- (i) by direct recruitment; and
 - (ii) by promotion from amongst Group 'D' employees; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
- (j) in the case of Steno Typist:-
- (i) by direct recruitment; and
 - (ii) by promotion amongst Clerk; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
- (k) in the case of Clerk:-
- (i) 80% by direct recruitment; and
 - (ii) 20% by promotion from amongst Group 'D' employees; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.

State Eligibility
Test in
computers.

10. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. Who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typist, Junior Scale Stenographer and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruitment. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typists shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the Authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by the HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed conditions in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC):-

- (i) M.Tech./B.Tech (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institute e.g. Polytechnics;
- (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
- (iii) Haryana State-Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
- (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
- (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (Left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial nerve (Radial nerve Palsy of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the typing test being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).

11. Selection of candidate shall be made by the Commission after holding a competitive examination, syllabus for test as prescribed in Appendix E and F respectively.

Provided that if the number of candidate is more than twenty times the number of vacancies advertised, the commission may hold a screening test to shortlist the candidates for the competitive examination.

Provided further that a candidate shall not be consider qualified for appointment unless he obtains a maximum of forty percent marks and no candidate fails to obtained the qualifying marks shall be called for interview by the commission.

Procedure for
direct recruitment
to the post of
Station Fire
Officer and Sub
Fire Officer

Procedure for promotion to the post of Fire Station Officer, Sub Fire Officer and Leading Fireman.

12. (1). For promotion to the post of Fire Station Officer, Sub Fire Officer and Leading Fireman, candidates shall have to qualify the test. The syllabus for examination of promotion to the post of Fire Station Officer, Sub Fire Officer and Leading Fireman is placed at Appendix E, F and G respectively.

Procedure for appointment, training and departmental test for Fire Operator

13. (1) As and when a requisition is received by the Commission from the Director, it shall recommend to the Director such number of Fire Operator candidates as specified in the requisition. After receiving the recommendation of Fire Operator candidates from Commission for direct recruitment, they shall be given provisional appointment by the Director and they shall undergo compulsory Fire Fighting training.

(2) The provisionally appointed Fire Operators during the training period shall be given such stipend, as may be determined by the Government, from time to time.

(3) The provisionally appointed Fire Operators shall undergo compulsory fire fighting training for minimum period of six months. The details of courses and syllabus are prescribed at Appendix H.

(4) The regular appointment shall be offered only after the successful completion of training and passing of the departmental examination. However, if a provisionally appointed Fire Operator fails to pass, the departmental examination he may subsequently be allowed to sit for re-examination:

Provided that the candidates failing in examination shall have to attend the fire fighting training again, and shall be required to sit for re-examination therein.

(5) A provisionally appointed Fire Operator shall not be offered regular appointment till he passes the departmental examination.

(6) Candidates shall have to qualify the departmental test and training within two years if he fails to qualify the departmental test and training within prescribed period the service of such candidate shall be dispensed with.

Probation .

14. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that ,-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may ,-

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him such other manner, as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-

- (a) if the work or conduct has, in its opinion been satisfactory –
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion been not satisfactory, --
 - (i) dispense with his services if appointed by direct recruitment if appointed otherwise, revert him to former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

15. Seniority interse of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service : Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date their seniority shall be determined as follows ,-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn rate also the same then by the length of their service in the appointment and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

16. Seniority of the merged officers/officials in service shall be determined from the date of their previous initial appointment or promotion, as the case may be:

Determination of seniority of merged employees

Provided that in the case of members merged from the same cadre, seniority of such members shall be determined according to the seniority determined in the cadre from which they were merged:

Provided further that in the case of two or more members appointed or promoted on the same date, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if, the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if the length of such service is also the same, older member shall be senior to the younger member.

Fixation of pay of merged employees

17. Pay of merged officials in the service, shall be fixed as per the pay scale specified against their post in Appendix A by protecting the pay drawn by them in their previous appointment:

Provided that the pay so fixed of the officials in any case shall not be fixed less than the pay which they were drawing in their previous appointment.

Liability to serve.

18. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under ,-

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave , pension and other matters.

19. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations, as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeal.

20. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be specified in Appendix D to the rules.

Vaccination.

21. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by the special or general order.

Oath of allegiance.

22. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

23. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

Special provisions.

24. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions, in order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

25. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Schedules Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with orders issued by the State Government in this regard from time to time.

Repeal and savings.

26. The Haryana Fire Office Subordinate Service (State Service Class III) Rules, 1972, Haryana Municipal Services (Integration, Recruitment and Condition of Service) Rules, 1982 and Haryana Municipal Corporation Employees (Recruitment and Condition) Rules, 1998 as so far applicable to the post merged in the posts governed by these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial Number	Designation of Post	Number of Posts		Total	Scale of Pay (Rs.)
		Permanent	Temporary		
1	Fire Station Officer	37	-	37	Pb2-9300-34800+ 3600GP
2	Personal Assistant	1	-	1	Pb2-9300-34800+3600GP
3	Sub Fire Officer	97		97	Pb2-9300-34800+ 3200GP
4	Assistant	10	-	10	Pb2-9300-34800+3200GP
5	Senior Scale Stenographer	1	-	1	Pb2-9300-34800+ 3200GP
6	Leading Fireman	297	-	297	Pb1-5200-20200+2400GP
7	Fire Operator	2276	-	2276	Pb1-5200-20200+2400GP
8	Junior Scale Stenographer.	2	-	2	Pb1-5200-20200+2400GP
9	Driver	3	-	3	Pb1-5200-20200+2400GP
10	Steno Typist	2	-	2	Pb1-5200-20200+1900GP
11	Clerk	11	-	11	Pb1-5200-20200+1900GP

APPENDIX B*(See rule 7)*

Serial Number	Designation of posts		Academic qualifications and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any for appointment other than by direct recruitment
1	2		3	4
1	Fire Station Officer	(i)	<p>Bachelor of Engineering (Fire) from a recognized University with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average.</p> <p>or</p> <p>Graduate in Science with Chemistry as one subject at Graduation Level with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average; and</p> <p>Diploma in Fire Station Officer's and Instructor's Course from National Fire Service College, Nagpur.</p> <p>or</p> <p>Graduate ship examination of the Institute of Fire Engineers</p> <p>or</p> <p>Having passed membership examination of the Institutions of Fire Engineers of United Kingdom.</p>	<p>By promotion :-</p> <p>(i) Five years experience as Sub Fire Officer.</p> <p>(ii) Diploma in Fire Station Officer's and Instructor's Course from National Fire Service College, Nagpur.</p> <p>(iii) Should have qualified the departmental test.</p>
		(ii)	Hindi/ Sanskrit upto Matric Standard or Higher education;	<p>By Transfer or Deputation :</p> <p>(i) Two years experience as Fire Station Officer.</p> <p>(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher education.</p>
		(iii)	Should have minimum physical standard i.e. Height- 5'-7", Weight 54 Kg. and Chest 32" (inches) unexpanded and 34" (inches) expanded (without clothes), Eye Sight 6/6 (without glasses) and 6/6 (with or without glasses after the age of 45 years).	
		(iv)	Should not be colour blind.	
		(v)	Should have qualified departmental test as prescribed in Appendix E.	
		(vi)	Heavy Motor Vehicle Driving License.	

2	Personal Assistant		--	<p>By promotion :- Five years experience as Senior Scale Stenographer.</p> <p>By Transfer or Deputation :</p> <p>(i) Two years experience as Personal Assistant.</p> <p>(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or higher education.</p>
3	Sub Fire Officer	<p>(i) Graduate from a recognized University with minimum 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average.</p> <p>(ii) Sub Fire Officer's Course from National Fire Service College, Nagpur.</p> <p>or</p> <p>Graduate ship examination of the Institute of Fire Engineers.</p> <p>or</p> <p>Having passed membership examination of the Institutions of Fire Engineers of United Kingdom.</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher education;</p> <p>(iv) Should have minimum physical standard i.e. Height- 5'-7", Weight 54 Kg. and Chest 32" (inches) unexpanded and 34" (inches) expanded (without clothes), Eye Sight 6/6 (without glasses) and 6/6 (with or without glasses after the age of 45 years).</p> <p>(v) Heavy Motor Vehicle Driving License.</p> <p>(vi) Should not be colour blind.</p> <p>(vii) Should have qualified departmental test as per Appendix F.</p>	<p>By promotion :-</p> <p>(i) Sub Officer's course from National Fire Service College, Nagpur or equivalent;</p> <p>(ii) Five years experience as Leading Fireman;</p> <p>(iii) Should have qualified the departmental test.</p> <p>By Transfer or Deputation:</p> <p>(i) Two years experience as Sub Fire Officer.</p> <p>(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or higher education.</p>	
4	Assistant		--	<p>By promotion- Three years experience as Junior Scale Stenographer or five years experience as Steno-typist/ Clerk.</p> <p>By transfer or deputation:</p> <p>(i) Two years experience as Assistant</p> <p>(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher education;</p>

5	Senior Scale Stenographer			<p>By Promotion:-</p> <p>(i) Two years experience as Junior Scale Stenographer.</p> <p>(ii) Shall have to qualify a test in English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof 20 words per minute and Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof 15 words per minute.</p> <p>(Note: 4% mistakes are allowed for qualifying the test)</p> <p>By Transfer/ deputation.</p> <p>(i) Candidate already holding the post of Senior Scale Stenographer for at least two years; and</p> <p>(ii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>
6	Leading Fireman			<p>By promotion :</p> <p>(i) Five years experience as Fire Operator; and</p> <p>(ii) Should have qualified the departmental test.</p> <p>By Transfer or Deputation</p> <p>(i) Two years experience as Leading Fireman.</p> <p>(ii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>
7	Fire Operator	(i)	10+2;	<p>By Transfer or Deputation</p> <p>(i) 10+2;</p> <p>(ii) Heavy Motor Vehicle Driving License.</p> <p>(iii) Hindi /Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education;</p> <p>(iv) Should have minimum physical standard i.e. Height- 5'-7", Weight 54 Kg. and Chest 32" (inches) unexpanded and 34" (inches) expanded (without clothes), Eye Sight 6/6 (without glasses) and 6/6 (with or without glasses after the age of 45 years).</p> <p>(v) Should not be colour blind.</p>
8	Junior Scale Stenographer	(i)	10+2;	<p>By Promotion:-</p> <p>(i) Two years experience as Steno-typist.</p> <p>(ii) Shall have to qualify a test in English shorthand at 100</p>

		(iii)	and Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof 15 words per minute; Note: 8% mistakes are allowed for qualifying the test Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.	words per minute and transcription thereof 20 words per minute and Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof 15 words per minute; and Note: 8% mistakes are allowed for qualifying the test By Transfer/ deputation:- (i) Candidate already holding the post of Junior Scale Stenographer for at least two years; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.
9	Driver	(i) (ii) (iii) (iv) (v)	Matric; Should have a light vehicle valid driving Licence, at least three years old; Should have passed the driving test, conducted by the Haryana Staff Selection Commission; Should not be colour blind. Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher Education.	By Promotion:- (i) Matric; (ii) Should have a light vehicle valid driving Licence, at least three years old; (iii) Three years experience as Class IV posts. (iv) Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher Education. (v) Should have passed the driving test conducted the department. (vi) Should not be colour blind. (vii) Should not be more than fifty years of age. By Transfer/ deputation. (i) Matric; (ii) Should have a light vehicle valid driving Licence, at least three years old; (iii) Three years experience as light vehicle driver; (iv) Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher Education. (v) Should not be colour blind; (vi) Should not be more than fifty years of age;
10	Steno Typist	(i) (ii)	10+2; Shall have to qualify a test in English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof 15 words per minute and Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof 11 words per minute;	By Promotion:- (i) Two years experience as Clerk. (ii) Shall have to qualify a test in English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof 15 words per minute and Hindi shorthand at 64 words per minute and

		(iii)	Note: 8% mistakes are allowed for qualifying the test. Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.	transcription thereof 11 words per minute; and Note: 8% mistakes are allowed for qualifying the test. By Transfer/ deputation- (i) two years experience on the post of Steno Typist (ii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.
11	Clerk	(i) (ii)	10+2; Hindi or Sanskrit upto Matric Standard.	By Promotion:- (i) 10+2; (ii) 5 years regular service as Group-'D' employee. (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher education. By Transfer/ deputation:- (i) Two years experience on the post of Clerk. (ii) (ii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.

APPENDIX C

(see rule 20(1))

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1.	Fire Station Officer	Director	<p>1. Minor Penalties : (i) warning with a copy in the personal file (character role). (ii) Censure. (iii) with-holding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Govt. or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Govt. owned or to a local authority or University set up by an act of parliament or of the legislature of a State; and (v) with-holding of increments of pay without cumulative effect.</p> <p>2. Major Penalties : (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect. (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction or will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be bar to the promotion of the Govt. employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Govt. employee was reduced and his seniority and pay on such</p>	Director	Administrative Secretary
2.	Sub Fire Officer				
3.	Leading Fireman				
4.	Fire Operator				
5.	Assistant				
6.	Personal Assistant				
7.	Senior Scale Stenographer				
8.	Junior Scale Stenographer				
9.	Driver				
10.	Steno Typist				
11.	Clerk				

			restoration to the grade post or service; (ix) Compulsory retirement. (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Govt.; (xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification fro future employment under the Govt.		
--	--	--	---	--	--

APPENDIX D

(see rule 20(2))

Serial Number	Designation of posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Fire Station Officer	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing Pension. (ii) Terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Administrative Secretary
2.	Sub Fire Officer			
3.	Leading Fireman			
4.	Fire Operator			
5.	Assistant			
6.	Personal Assistant			
7.	Senior Scale Stenographer			
8.	Junior Scale Stenographer			
9.	Driver			
10.	Steno Typist			
11.	Clerk			

APPENDIX E*(see rule 11 and 12)***Syllabus for examination for direct recruitment/promotion to the post of Fire Station Officer:-****Time: 3 Hours****Total Marks= 100****1. AIR-CRAFT FIRES & RESCUE**

General Introduction of Airport, Airport-runways, ATC Tower Hangers etc. Airport Fire Organizations, Water Resources, special appliances and equipment. Aircraft Construction, types, General description and risks associated, crashes and fires, Rescue and Fire-fighting techniques, Ejection seat in Military Air-craft, Fire Prevention in Airport.

2. AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION

Introduction, Types of Air-conditioning Systems, Hazards and Structural precautions, Precautions and Special problems associated with each systems, principle of Refrigeration and types, Common refrigerents and their properties, Basic precaution, Hazards and Method of Control in Refrigerating and Air conditioning plant.

3. BREATHING APPARATUS

Introduction and Need/Importance of Breathing Apparatus in Fire Services, Compressed Air Breathing Apparatus-description of the set, face-mask and demand valve whistle manifold and reducer, Airline equipment, Testing and Maintenance, Working duration of Breathing Apparatus, Breathing Apparatus Equipment, Distress Signal Unit, Communication Equipment, Guide and Personnel Lines-Calculation of condition and duration. Reference to ISS Specification.

4. BUILDING CONSTRUCTION & STRUCTURAL FIRE PROTECTION

Introduction, Fire Assistance of Elements of structure, Behaviour of Elements of structure in a Fire and Causes of Wall Collapse, Criteria for assessing the fire properties of building materials and Elements of Structure, Fire load and grading of occupancies by fire load, Classification of Building based on occupancy and Fire ones as per N.S.C Occupational hazard and Structural Fire Precautions including Means of Escape-Fire Protection in Buildings.

5. PHYSICS & CHEMISTRY FOR COMBUSTION

Combustion related properties of matter, Mechanism of Extinction-Effects of combustion, spontaneous-combustion, Hazardous materials.

6. DISCIPLINE

Introduction, Discipline vis-à-vis Leadership, General rules and principles of discipline in the Fire Service, Management and enforcement.

7. ELECTRICITY

Sources Generation-methods, conductors, Insulators, Distribution and special hazards of Transformer and Sub-stations, Cables, Junction Boxes, Wiring Systems, Switches-Switch Gears etc. Lighting Lamps, Static Electricity, Electrical Hazards-Shock and Protection, Fire-fighting techniques for live installations.

8. EXPLOSIVE

Introduction, Types of Chemical Explosives, Chemical Classification of Explosives, Principles of Storage & Transportation, Fire-fighting Classifications and Fire-fighting technique.

9. FIRE EXTINGUISHERS

Construction and Practical use of

- (i) Water type Extinguishers
- (ii) Foam and Mechanical Foam Extinguishers
- (iii) Vapour Forming-Liquids or Gas Extinguishers-use of Halon Extinguishers.
- (iv) Dry Chemical Powder Extinguishers, Maintenance Procedure of all type of Extinguishers, Indian Standard Specifications for different sizes/types of extinguishers.

10. FIRE SERVICE ADMINISTRATION

Structure of Fire Service organization:

- (a) Organisation of Fire Service
- (b) Duties of different level of commands

- (c) Chain of Command
- (d) Ranks and Rank Markings
- (e) Operational Jurisdiction.

Station Administration:

- (a) Introduction to Station Management
- (b) Routines work at Station level
- (c) Duties of Station Officers at Station level to subordinate ranks for supervision and man-management procedure, I, Liaison Works in other departments and the public at large.

11. FIRST-AID & AMBULANCE AID

Importance of Fire-aid in Fire Service structure and functions of the body-Blood Circulatory System, Wound accompanied by severe haemorrhage, Direct pressure, Pressure-points. Haemorrhage from an internal organ-signs, symptoms and management, Unconsciousness-causes, clinical-features and classifications, Emergency Care of burns, Respiratory Distress-Causes, signs, symptoms and Emergency care, Shock-causes, signs, symptoms and management.

12. FIXED FIRE FIGHTING INSTALLATION

Introduction, Purpose & principle of installation, Types of Installation-Manual and Automatic Suppression and their use, care and maintenance systems used in India and Regulations as per National Building Code. Codes of Practice prepared by Bureau of Indian Standard.

13. FOAM & FOAM MAKING EQUIPMENT

Introduction, Different foam concentrates, functional requirements & compatibility of foam-concentrate and dry chemical powder, Foam making equipment, Care and Maintenance of Foam making equipment. Reference to relevant Indian Standard Specifications.

14. FIRE HAZARDS IN SPECIAL RISKS AREA AND FIRE PROTECTION

- (a) Towns Other Gas Works
- (b) Oil Installation and Tanks.
- (c) Cross-Country pipelines of Gas mains.
- (d) Industrial Materials and Dangerous Chemicals.
- (e) Places of High Fire/Life Risks.
 - (i) Pressurised Tunnelling.
 - (ii) Oxygen enriched atmosphere.

15. FIRE SERVICE COMMUNICATION

Importance and function of Watch-room and Control room & its requirements. Procedure of handling of fire calls and special Service Calls etc, Identification of Communication requirement of Fire Service, Details of communication requirement of Fire Service.

- (a) Link Communication
- (b) Radio-Communication.

Communication Planning in Fire Service.

16. FIRE PREVENTION INSPECTION PROCEDURE

Preparation of check-list and follow-up procedure & maintenance of mastered register.

17. GAS, FIRES

Classifications, Characteristics of gases and their risks, Dust Explosion, LPG, its hazards and Fire Precautions, Methods used by the Fire Service of Extinguishing Gas Fires.

18. HOSE

Introduction, General Characteristics of Standard Delivery and Section Hose, Material, Construction Maintenance, Repairs & Testing and latest development as per bureau of Indian Standard-Reference to relevant Indian Standard Specifications.

19. HOSE FITTINGS

Standard Couplings, Branches and Nozzles special types of Branch and Nozzle, Branch Holders, Radial Branches and Monitors, Stand-pipes, Collecting heads and Suction-Hose Fittings, Breechings, Asaptors, Miscellaneous, Hose Fittings and Ramps. With reference to Indian Standard Specifications.

20. HYDRANTS & WATER SUPPLY

Determination technique of 'Fire flow' in accordance to fire load, Distribution of water supplies, Water resources for Fire-Fighting, Code of practice in respect of requirements and Standardisation of Hydrants, Hydrant Gear, Use of Flow-Motor, Marking, Testing, Care & Maintenance.

21. HYDRAULICS

Characteristics of Suction Lift and Atmospheric pressure, Pump-power and efficiency, Characteristics of flow in Hose and Nozzle discharge, Friction Loss, Jet-reaction and Water Hammer, Formulae and problems of the above.

22. INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Introduction, Principles of Internal Combustion Engine, Terminology used in this connection, description of power Units and the systems in relation to Petrol and Diesel Engines.

23. INVESTIGATION OF FIRE

Introduction, Procedure of detection to the causes of fire-point of Ignition, Time of Ignition and cause of Ignition, Circumstances leading to suspicion and motives leading to Arson, Fire-fighting Techniques in case of Arson and guarding of evidence.

24. LADDERS

Introduction of sophisticated aerial ladder, construction, use, Testing and Maintenance of TTL & Hydraulic platform Method of practical Operation and technique and safety requirement.

25. PUMPS

Introduction-Centrifugal Pumps and its characteristics, different types of Primers, design parameters of Pumping Appliances and their characteristics.

26. PLAN READING

Importance of plan reading, its requirements and preparation of standard symbols, Introduction to the reading of Building plan.

27. PRACTICAL FIREMANSHIP

Principles to be followed at Fire Ground viz. Survey and re-see and sizing up, Methods of Entry, Methods of Search and Rescue, Working in Smoke and Darkness, hot atmosphere, central at a Fire Ventilation and Procedure after fire/incidents, Fire-fighting strategy and tactics.

28. RESCUE DRILLS

Fireman's Lift and picking up Practical drill, Rescue by various methods using fire equipment.

29. RESUSCITATION

Different methods of manual resuscitation, their advantages and disadvantages, Classification of Resuscitation sets, their construction and descriptions. Signs and symptoms of Asphyxiated persons in same special case, cases where artificial respiration not recommended.

30. RURAL & FOREST FIRE

Causes of rural fires, specification, difficulties encountered in rural fires, normal methods and special technique employed in rural fire-fighting.

31. SALVAGE

Introduction, Importance of Salvage, various factors of damage and their remedy pre-planning and procedure for salvage work before, during and after the fire.

32. SHIP FIRES

Structural terminology of a ship-Causes of fires in ship, Authorities and their responsibilities in case of ship fires. Fires on ships in Dry-Dock, Fire-fighting Procedures, considerations and problems while fighting fire in ship. Fire prevention in ships-Fire Protection in Docks.

33. SMALL GEARS

Function and construction of various sophisticated small gears used in fire services including powered operated gears, Description and Operational use of Oxy-Acetylene cutting sets, Oxy-Propane cutting sets, Pneumatic Jacks, Jumping Cushions, Blower exhauster and various types of Protective Clothing. Powered spreader, Lifting bag, powered saw and cutting tools.

34. SPECIAL APPLIANCES

Emergency Tender, Crash fire, Tender, T.T.L. Hydraulic Platform, Hose Laying Lorry, Break-down Van, Control Units, Canteen Vans, DCP Tender, Foam Tender, as per Standard specifications.

35. SPECIAL SERVICES

Rescue by ordinary Means, Rescue by Fire Service Appliances and Equipment, Rescue from Lift, Rescue from Sewers and Wells, ponds, rivers, Rescue during earthquake and flood, rescue from nuclear Radiation Incident, Rescue Procedure in the presence of poisonous gases, Rescue problems and Rescue procedure in case of Highway accident Water rescue.

36. STORAGE OF HAZARDOUS GOODS

Classification and study of conditions essential for storage of hazardous goods Standard requirements for Transportation of Hazardous goods. Fire Service Authority seizure. Action by Operational Officer at accident of hazchem on road control of Hazchem movement through city during daytime.

37. SQUAD DRILL & P.T.

Physical Training as per Standard Table Demonstration and Practice of all movements of Squad Drill. Word of Command & Instructional practice of all movements including Ceremonial Parade practice.

38. WATER & WATER RELAY

Water requirements with reference to IS. Principles and Practical consideration of various methods of Water Relay and operational hints.

39. WATER TENDER

Study of various Indian Specification of conventional Fire Tenders and appliance as per Indian Standard.

40. FIRE EQUIPMENTS AND APPLIANCES

Hydraulic platform, Advance Rescue Tender, Water Bouser, Water Tender and Foam Crash Tender.

41. FIRE PREVENTION & FIRE PROTECTION

42. KNOWLEDGE OF NATIONAL BUILDING CODE PART-III & IV.

APPENDIX F*(see rule 11 and 12)***Syllabus for examination for direct recruitment/promotion to the post of Sub Fire Officer:-****Time: 3 Hours****Total Marks = 100****1. Building Construction**

Introduction, Importance of Subject, Definition of Some Terms, Classification of Building, Building Material & their behavior in fire, Importance of fire escape with respect to their positioning, construction and provisioning of fire fighting measures, Fire Zones, Temporary Buildings,

2. Fixed Fire Fighting Installation

Introduction, Type of sprinklers, Type of installation, Principal of Automatic sprinkler, Testing and Maintenance, Drenchers System, Rising Mains, Hose reel, Down Comer, High Expansion foam, CO₂, Halons, Automatic Fire Alarm System

3. Rural Fire

Introduction, Type of Fires, Characteristic Features, Cause of Fires in Rural Areas, Hay Stacks, Factors effecting fire fighting, Appliances and Equipments, Survey

4. Aircraft Fire and Rescue

Introduction, General information required in EVE Crash, General Principal of Rescue Operation, Quickest means of entrance to aircraft, After Entry in Aircraft, General principles of Fire Fighting.

5. Ship Fires

Introduction, Glossary of Shipping Terms, Passenger Ship, Cargo Ship, Large Tanker and Combination Carriers

6. Escapes

Introduction, Elements of Escape routes, External Staircase or Fire Escapes, Spiral Fire Escape, Roof Exit, Fire Tower, Ramps, Doorways, Revolving Doors, Corridors and Passageways, Horizontal Exits, Exit Requirements, Horizontal Exit Allowance.

7. Foam and Foam Making Equipments

Introduction, Area of Application, Chemical Foam, Mechanical Foam, Foam Concentrate, Types of Foam Concentrates, Storage of Foam Concentrates, Action of Work, Properties of Foam, Foam Making Equipments

8. Hose

Introduction, Types of Hoses, Material Used, Non- Percolating Hose, Hose reel Hose, General Operational Misuse of Hose, Cleaning and Drying, Standard Test

9. Small Gear

Introduction, Conventional Tools, Specialized Equipments, Miscellaneous Special Tools and Equipment, Lifting Equipment, Lamps and Lighting Sets.

10. Ladders

Introduction, Construction, Precautions, Maintenance, Terminology, Standard Test, Care and Maintenance, Safety Devices, Acceptance Test, Round Test.

11. Pump & Pump Operation

Introduction, Classification of Common Types in Use, Construction, Disadvantages, Advantages, Method of Priming, Testing and Fault Finding, Care and Maintenance, Standard Tests.

12. Water Tender

Introduction, Types of Water Tender, Use of Water Tender, Fire Pumps, Hose reel and Hose and its Function, Provision of a Fire way Valve and its Operation, Ladder, Sparage Pipe, Fabrication of Water Tender as per ISS 950 and Its Important features.

13. Practical Firemanship

Introduction, Qualification of a Good Fireman, Duty at Station Level, On way to Fire, On Reaching Fire Ground, Bringing the Fire Under Control, Ventilation, On return to station from a Fire, At Fire Ground-Practical-Fire Fighting, Finding the Fire, Signs of Building Collapse, Method of Entry, Resque, Working in darkness, Working in Smoke, Working in an Atmosphere of inflammable gas leaking, Recueing a man caught in electric wires.

14. Hose Fittings

Introduction, Couplings, Branches and Nozzles, Collecting Heads and Suction Hose fittings, Breechings, Adaptors, Miscellaneous Hose fitting, Hose ramps.

15. Basic Physics and Chemistry

Introduction, Combustion, Heat, Fuels, Acid, Explosion,

16. Electricity

Introduction, Fundamentals of Electricity, Generation and Distribution of Electricity, Common Causes of Electrical Fires and Remedial Measures, Static Electricity and its Hazardous.

17. Hydraulics

Introduction, Pressure and Head, Pressure and Flow, Menstruation, Nozzle Discharge, Water Requirement.

18. Hydrant and Fittings

Introduction, Water Distribution System, Type and Construction of Hydrants, Parts of Hydrants, Hydrant Gear and Equipments, Marking, Testing, Care and Maintenance, Operation of Hydrants, Flow Gauges

19. Water Relay

Introduction, Method, Standard Distance between Pump and Relay, Operation, Hose laying lorry, Communication.

20. Breathing Apparatus

Introduction, Types and Parts of Breathing Apparatus, Testing and Maintenance Procedure, Care and Maintenance of Cylinder

21. Chemical Extinguishers

Introduction, Classification of Fires, Suitability of Extinguishers for Different types of fire, Type of Fire Extinguishers, Uses, Testing, Safety Devices, Discharge Performance, Advantage and Disadvantages, Types of Dry Powder.

22. First Aid & Resuscitation

Method of approach and subsequent treatment in cases of shock, wound, burn, bleeding, fractures and respiration failures.

23. Introduction, Qualities of First-Aid, Duties of First Aider, Body Parts and Systems, Injuries Encountered in Fire Incidents, Burns and Scalds, Signs and Symptoms, Management, Wounds and Hemorrhage, Bleeding and infection, Management, Fractures, Observation of Patient, Foost Bite, Snake Bite, Resuscitation.

24. Watch Room Procedure

Introduction, Constituents of Communication, Watch Room, Control Room, General Requirements, Equipments, Station Ground, Turn Out Ground, Telephone Call area, Mobilizing Boards, The Log or Occurrence Book, Fireless Apparatus, Handling of a Fire Call.

25. Salvage

Introduction, Equipment for Salvage Work, Method of Use, Salvage work at Fire.

26. Station Administration

Introduction, Executive Duties, Administrative Duties, Station Discipline.

27. Special Services

Introduction, Lift Rescue, Rescue from Sewers, Road and Highway Accidents, Operational Procedure, Rescue from Collapsed building, Survey, Stages of Rescue, Rescue from Well, Rescue of Animals.

28. Discipline

Introduction, Importance of Discipline, General Principle, Essentials of Disciplination, Outward Signs.

APPENDIX G*(see rule 12)***Syllabus for examination for promotion to the post of Leading Fireman:-****Time: 3 Hours****Total Marks = 100****1. Breathing Apparatus and Resuscitation**

Types and Uses with their limitation, standard test, care and maintenance

2. Chemical Extinguishers

Types of extinguishers, uses and maintenance, Advantages and disadvantages, standard test.

3. Hose and Hose drills

Description and type of hose, Method of manufacturing, Silver yarn, strand or ply thread, warp and weft, plain and twill weave material used characteristic of hose, care and maintenance, standard tests, Causes of decay.

4. Hydrants and Hose fitting

Types of hydrants and its uses, Delivery hose couplings, instantaneous, suction hose coupling, threaded, branch holders and monitors, stand pipe, collecting heads, suction strainers, breeching, adopters, blank caps, hose ramps.

5. Foam and Foam Equipment

Description of foam, types of foam compound, requirements for the production of mechanical foam, Foam making equipment (FMBP No- 02, FMBP No- 10, FMBP No- 220, FB 5 x description, parts and construction, working rates of consumption, production, use of method of application, care and maintenance of containers and equipment.

6. Small Gears

1. Breaking away gears- Hammers, Chisel, Solo picks, pick axe, crow bar, door opener
2. Cutting away gears- Axe, lock and bolt cutter, wood saw, cut saw, hack saw, chopper, hay knives
3. Rescue gears- Jumping sheets, automatic escape, sling belt, safety, well hook, life buoy, life jacket, stretcher, First aid box, lines, fireman's axe, rubber gloves, gum boots, helmets, ceiling hook.
4. Lights- Hurricane lamp, paraffin lamp, BA lamp, flood light, search light, electric torch
5. Turning over gears- Shovels, spades, fork, drag hook, ceiling hook, plus key tools
6. Transport gears- Life jacket, starting handle, cutting plier, screw driver, double ended spanners, screw and pipe wrenches, gland spanner, plug spanner, tyre lever, wheel braces, grease gun, oil can, hammer, file
7. Miscellaneous and special gears- Buckets, Blower and Exhauster, Welding-cutting set, electric generator, chain saw, asbestos suit, blankets, fire bell, rocking stretcher, automatic escape, fire beaters, Resuscitation Apparatus.

7. Pump and Priming

Description of pumps, type of pumps (force pump, lift pump, bucket and plunger pump, rotary pump and centrifugal pump)

Description of Centrifugal pump- Parts, gland packing and their function, advantages and disadvantages, types of primer (reciprocating, seal, induction), importance of atmospheric pressure, motor pump and trailer pump, size of pumps (portable, large, light, heavy and extra duty) Cooling (Direct and Indirect)- Care, maintenance, and different tests (monthly output test, six months vacuum test and suction inspection, weekly pressure test, six monthly deep lift test, gauges and their functions, practical pump, operation hint)

8. Escape Ladders, Extension Ladder and Hook Ladders with Drills

Types and uses of ladders with their limitations, care and maintenance, standard tests of ladder and standard drills.

9. Practical Fireman ship

Qualities of Firemen and his

- (a) Duties at Station turn out
- (b) Way to fire (traffic regulation, fire bell, road accident)

- (c) Duties on reaching the spot (quick survey and reporting to the control point or O/C of the first attendance. Sending messages, placing of pumps, setting into hydrants, laying of hose, method of entry, rescue, removal of bodies working in smoke or darkness, room searching, finding and fighting the fire
- (d) After the fire (making up duties on return to Station).

10. Topography

Knowledge of the layout of the town/city with names of prominent localities, main roads, connecting such localities, names of different bazaars and important lanes; general spreads of the fire hazards in the area served by the fire station concerned.

11. Watch Room Procedure

Definition and requirements of watch room and control room, receiving and transmitting of telephone calls, keeping of all records and its importance, standard message.

12. Water Problem

Composition of Water, Atmospheric pressure, weight and capacity of water per cu. Ft. practical and theoretical suction lift, friction loss, lifting water and water hammer.

13. Water Relay

Definition, Types (Open, Closed and Collector pumping) named of pumps at different positions, supply pump, intermediate pump, delivery pump), Spacing of Pumps- Advantages and Disadvantages, important points for carrying out relay and study of gauges.

14. First Aid

Method of approach and subsequent treatment in cases of shock, wound, burn, bleeding, fractures and respiration failures.

15. Knots and lines

Types of lines in use, Names with qualities of material used for construction, names, length, size, use of the lines used in fire service, mechanical and chemical deterioration, care, maintenance and standard test.

APPENDIX H*(see rule 13)***Syllabus for test to the post of Fire Operator:-****Time: 3 Hours****Total Marks = 100****1. Chemistry of Fire**

Combustion, Contents, Causes and Types of fire, Extinguishing fire, Methods available, Starvation, Smothering, Cooling, Advantages of Water.

2. Chemical Fire Extinguisher

Types of extinguishers, uses and maintenance.

3. Hose

Type of hose, care and maintenance, standard tests, Causes of decay.

4. Hose fitting & fire hydrants

Delivery hose couplings, instantaneous, suction hose coupling, threaded, branch holders and monitors, stand pipe, collecting heads, suction strainers, breeching, adopters, blank caps, hose ramps, Type of hydrants, Care and maintenance.

5. Foam and Foam Apparatus

Description of foam, types of foam compound, requirements for the production of mechanical foam, Foam making equipment (FMBP No- 02, FMBP No- 10, FMBP No- 220, FB 5 x description, parts and construction, production, use of method of application, care and maintenance of containers and equipment.

6. Small Gears

Breaking away gears, Cutting away gears, Rescue gears, Lights, Turning over gears, Transport gears, Miscellaneous and special gears

7. Pump and Primer

Description of pumps, type of pumps (force pump, lift pump, bucket and plunger pump, rotary pump and centrifugal pump) Cooling (Direct and Indirect)- Care, maintenance, and different tests (monthly output test, six months vacuum test and suction inspection, weekly pressure test, six monthly deep lift test, gauges and their functions, practical pump, operation hint)

8. Fire Service Ladders

Types of ladder, uses, care and maintenance, standard tests of extension ladder.

9. Practical Fireman ship

Qualities of Firemen and his Duties, Sending messages, placing of pumps, setting into hydrants, laying of hose, method of entry, rescue, removal of bodies working in smoke or darkness, room searching, finding and fighting the fire.

10. Breathing Apparatus

Introduction, Types, Names and function of the parts, contents, sequences of wearing, operational use, signals, recharging, care, maintenance and testing.

11. Watch room and its functional system

Definition and requirements of watch room and control room, receiving and transmitting of telephone calls, maintenance of occurrence book and its importance, standard message.

12. Relay Pumping

Definition, Types (Open, Closed and Collector pumping) named of pumps at different positions, supply pump, intermediate pump, delivery pump), Spacing of Pumps- Advantages and Disadvantages, important points for carrying out relay and study of gauges.

13. Building Construction

Classification of building, type of buildings

14. Fixed installation

Sprinklers, Detectors, Yard hydrant, Hose reel, Landing valve, Drenchers and risers, sprinkler heads, Fire service inlet and draw out connections.

15. Salvage

Definition—Damage (direct, indirect) equipment required for salvage work, cleaning of water from building, reducing water and smoke damage.

16. Fire of Rural areas

Difficulties (means of communications) delay in fire call, road condition, lack of water supply system, combustible nature of dwelling and stocks, causes of village fire, normal appliances for village fire, hose and branches, methods of fighting the fire, fire beaters, wind ward, lee ward, fire breaks, natural fire break.

17. Special Service call

Hints while dealing the rescue from sewers (sewers gases) wells, rivers and ponds, light accidents, building collapse, road accidents, electrocuted, lunatic on the tree of high buildings, acid on roads, leakage of gases, air crash, railway accidents, life trapped in fire, flood, water etc land slide and rescue of animals.

18. Discipline

Definition, orders, sign of discipline, essential requirements for a good disciplinarian, some of the things which a good disciplinarian must not do, discipline is an art, importance of discipline of fire service.

19. Special Appliances

Types, Name, Working, Importance, Maintenance and operation of vehicles (Hazmat Van, Advance Rescue Tender and Water Mist).

20. First Aid

Method of approach and subsequent treatment in cases of shock, wound, burn, bleeding, fractures and respiration failures.

Introduction, Qualities of First-Aid, Duties of First Aider, Body Parts and Systems, Injuries Encountered in Fire Incidents, Burns and Scalds, Signs and Symptoms, Management, Wounds and Hemorrhage, Bleeding and infection, Management, Fractures, Observation of Patient, Foost Bite, Snake Bite.

21. Rope and Lines

Names with qualities of material used for construction, names, length, size, use of the lines used in fire service, mechanical and chemical deterioration, care, maintenance

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2016

संख्या का0आ017/ह0अ012/2009/धा049/2016.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12), की धारा 49 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I सामान्य

- संक्षिप्त नाम। 1. ये नियम हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
- परिभाषाएं। 2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “प्रशासकीय सचिव” से अभिप्राय है, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग;
- (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा चयन द्वारा की गई हो;
- (ग) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक अग्निशमन सेवा, हरियाणा;
- (घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ङ) “संस्था” से अभिप्राय है :—
- (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
- (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (च) “भर्ती प्राधिकरण” से अभिप्राय है, ग्रुप घ कर्मचारी चयन समिति या सरकार द्वारा गठित कोई अन्य चयन समिति, जैसी भी स्थिति हो ;
- (छ) “सेवा” से अभिप्राय है हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप घ) सेवा।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12) में दिए गए हैं।
- पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप। 3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गये पद समाविष्ट होंगे: परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।
- सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र। 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो,—
- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा:
- परन्तु (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में, पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र-प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सतरहवर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आयु में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित लागू होगी। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना में 3 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्याउनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, तो भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में पचास प्रतिशत तक की ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति, — निर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है : या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में सेवादार-एवं-चौकीदार के पद पर भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,— भर्ती का ढंग।

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहलें से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्तव्यक्ति, यदि वह किसी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा, परीक्षा।

परन्तु:—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परीक्षा-अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

- (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह —
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो —
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
- (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करे।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि, पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :—
- (क) उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो —
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसको स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है ; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो —
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करे ; या
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी —

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा :
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में से ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे स्थानान्तरण किये गये थे; और
- (ग) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा करने का दायित्व।
- (2) सेवा के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के अधीनप्रतिनियुक्त किया जा सकता है :-
- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतरशहरी स्थानीय निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो ; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय ;
- परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।
13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें। वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।
14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे : अनुशासन शास्तियां तथा अपीलों।
- परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।
- (2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।
15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं कोटीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा। टीका लगवाना।
16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ।
17. जहां, सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिख कर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।
18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।
19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी। आरक्षण।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	सेवादार-एवं-चौकीदार	11	—	11	आई.एस.-4440-7440+1300 रुपये ग्रेड वेतन।

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	सेवादार—एवं—चौकीदार	(i) आठवीं कक्षा पास; तथा (ii) साईकिल चलाना जानता हो।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— सेवादार/चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	सेवादार-एवं-चौकीदार	निदेशक	<p>1. छोटी शास्तियां :-</p> <p>(i) वैयक्तिक फाईल (आचरणपंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;</p> <p>(ii) परिनिन्दा ;</p> <p>(iii) पदोन्नति रोकना;</p> <p>(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि या उसके भाग की वेतन से वसूली;</p> <p>(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना;</p> <p>2. बड़ी शास्तियां :-</p> <p>(vi) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना ;</p> <p>(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;</p> <p>(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसी ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा</p>	निदेशक	प्रशासकीय सचिव।

			<p>जिससे सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;</p> <p>(iX) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;</p> <p>(X) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः अयोग्यता नहीं होगी ;</p> <p>(Xi) सेवा पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए , सामान्यतः अयोग्यता होगी ।</p>		
--	--	--	---	--	--

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशो का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	सेवादार-एवं-चौकीदार	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के किसी सदस्य को उसकी अधिवार्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	प्रशासकीय सचिव।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 3rd June, 2016

No.S.O.17/H.A.12/2009/S.49/2016.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution of India and sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 49 of the Haryana Fire Services Act, 2009 (12 of 2009), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Fire Services (Group D) namely:-

PART-I GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Fire (Group D) Service Rules, 2016. Short title.
2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “administrative secretary” means the Administrative Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department;
 - (b) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (c) “Director” means the Director, Fire Service, Haryana;
 - (d) “Government” means the Government of Haryana in the administrative department;
 - (e) “institution” means,-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
 - (f) “Service” means the Haryana Fire (Group D) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules: Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.
4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is ,- Nationality, domicile and character of candidates appointed to service .
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of the character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are un-connected with his university, college, school or institution.

- Age. **5.** No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than forty two years of age, on the last date of submission of application to the appointing authority. However, the relaxation in age for Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons will be applicable as prescribed by the Government from time to time.
- Appointing authority. **6.** Appointments to the posts in the Service shall be made by the appointing authority mentioned in column 3 of Appendix C to these rules.
- Qualifications . **7.** No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of the requisite qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:
 Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty percent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and differently-abled candidates possessing the prescribed requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them after recording the reasons for doing so in writing.
- Disqualifications. **8.** No person,-
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :
 Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
- Mode of recruitment . **9.** (1) Recruitment to the Service shall be made,-
 (a) in the case of Peon-cum-Chowkidar,-
 (i) by direct recruitment; or
 (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- Probation. **10.** (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :
 Provided that,-
 (a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and
 (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
 (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but, no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.
 (2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-
 (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and
 (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 (i) revert him to his former post; or
 (ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit.

- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-
- (a) if the work or conduct has, in its opinion been satisfactory, -
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion been not satisfactory,-
 - (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any shall not exceed three years.

11. Seniority inter-se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service : Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date their seniority shall be determined as follows :-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of member appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn rate also the same then by the length of their service in the appointment and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member:

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.

- (2) A member of the Service may also be deputed to serve under ,-
- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, an urban local body or a local authority or university within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to the serve under Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave,
pension and
other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any other law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline,
penalties
and appeal.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be specified in Appendix D to the rules.

Vaccination .

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by the special or general order.

Oath of
allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of
relaxation

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

Special
provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions, in order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Schedules Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with orders issued by the State Government in this regard from time to time.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial Number	Designation of Post	Number of Posts		Total	Scale of Pay (Rs.)
		Permanent	Temporary		
1	Peon-cum- Chowkidar	11	-	11	IS-4440-7440+ 1300GP

APPENDIX B*(See rule 7)*

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Peon-cum-Chowkidar	(i) 8th Class pass; and (ii) should know cycling.	By transfer or deputation – (i) Two year experience as Peon/Chowkidar.

APPENDIX C

(See rule 14(1))

Serial. Number	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1.	Peon-cum-Chowkidar	Director	<p>1. Minor Penalties :</p> <p>(i) warning with a copy in the personal file (character role);</p> <p>(ii) Censure;</p> <p>(iii) with-holding of promotion;</p> <p>(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government, owned or to a local authority or university set up by an Act of parliament or of the Legislature of a State; and</p> <p>(v) withholding of increments of pay without cumulative effect;</p> <p>2. Major Penalties :</p> <p>(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;</p> <p>(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee shall earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction or shall or shall not have the effect of postponing the future increments of his pay;</p> <p>(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be bar to the promotion of the Government employee</p>	Director	Administrative Secretary

			<p>to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to the grade post or service;</p> <p>(ix) compulsory retirement;</p> <p>(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the government;</p> <p>(xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the government.</p>		
--	--	--	--	--	--

APPENDIX D

(See rule 14(2))

Serial Number	Designation of posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Peon-cum- Chowkidar	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing Pension. (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Administrative Secretary

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

भाग-III**हरियाणा सरकार**

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 जून, 2016

संख्या सा0का0नि015/संवि0/अनु0 309/2016.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विधि विज्ञान (ग्रुप क) सेवा नियम, 1980, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा विधि विज्ञान (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा विधि विज्ञान (ग्रुप क) सेवा नियम, 1980 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 13 के सामने, खाना 4 के नीचे, "पदोन्नति द्वारा" शीर्ष के नीचे, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

4

"(ii) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान/विष विज्ञान) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।"

रामनिवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 13th June, 2016

No. G.S.R.15/Const./Art.309/2016.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Forensic Science (Group A) Service Rules, 1980, namely:-

1. These rules may be called Haryana Forensic Science (Group A) Service (Amendment) Rules, 2016.
2. In the Haryana Forensic Science (Group A) Service Rules, 1980, in Appendix B, against Serial Number 13, under column 4, under heading “by promotion”, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

4
“(ii) Five years experience as Senior Scientific Officer (Chemistry/ Toxicology).”.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.